हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2011

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

बुधवार, 9 मार्च, 2011

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)28
स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां प्रयोग करने सम्बन्धी मामला उठाना	(4)40
वर्ष 2011–2012 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(4)41

मूल्य : 195

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 9 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 10.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question hour.

Formula for Penalty

***386. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) what is the formula for charging the penalty for the consumer, if he is found consuming more load than the sanctioned load as per sale circular No. 60/2007, dated 16-10-2010 in case of domestic consumers;

(b) what is the formula for calculating the penalty under the sale circular No. 28/2010, dated 28-09-2010, if an industrial consumer is found to be consuming more load than the sanctioned load :

(c) what amount of penalty is to be charged, if a domestic consumer found to be consuming load to the tune of 5.283 K.W. while the sanctioned load is 2.400 K.W. where the total consumption of such user is 8200 units during the year ; and

(d) what amount of penalty is to be charged from an industrial unit, if the difference between the load consumed and the sanctioned load is 2.883 K.W. where the consumption of such industrial unit is 8200 units during a year ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

(ए) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनधिकृत भार के लिए जुर्माना राशि की गणना करने के लिए उपभोग की गई अनाधिकृत (यूनिटों) की गणना निम्न प्रकार से की गई है :—

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

उपभोग की गई अनधिकृत यूनिटें =

$$\frac{\text{(पिछले 12 महीने की वास्तविक यूनिटें)} \times \text{(अनधिकृत भार किलोवाट में)}}{\text{(स्वीकृत भार किलोवाट में + अनधिकृत भार किलोवाट में)}}$$

अनधिकृत उपयोग (यूनिट) की जुर्माना राशि की गणना वर्तमान घरेलू दर के आधार पर की गई है। जोकि पहले भरे हुए बिलों के अतिरिक्त है।

(बी) एल.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं के अनधिकृत बढ़े हुए भार की जुर्माना राशि की गणना पिछले 6 महीनों के लिए @ 220/- प्रति माह/किलोवाट की दर से की गई है। इसके अतिरिक्त निश्चित प्रभार 100 रुपये प्रति किलोवाट की राशि पिछले 6 महीने के लिए भी वसूल की जाएगी।

(सी) 16942.94 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जानी है जिसकी गणना निम्न प्रकार दी गई है :-

क्र.सं.	विवरण		मूल्य
1	स्वीकृत भार (किलोवाट)		2.400
2	कुल भार (किलोवाट)		5.283
3	वर्ष के दौरान उपभोग (यूनिटें)		8.200
4	अनधिकृत भार (किलोवाट)		2.883
5	अनधिकृत भार के कारण उपभोग (यूनिट) (उपरोक्त पैरा ए में दिए गए सूत्र के आधार पर)		4475
6	जुर्माना की गई राशि की गणना	उपभोग (यूनिटें)	जुर्माना राशि (रुपए)
ए	स्लैब-I (40 यूनिटें प्रति माह तक) @ 2.63 रुपए प्रति यूनिट की दर से	480	1262.40
बी	स्लैब-II (41 यूनिटों से 300 यूनिटों तक) @ 3.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से	3120	11700.00
सी	स्लैब-III (301 यूनिटों से 500 यूनिटों तक) @ 4.55 रुपए प्रति यूनिट की दर से	875	3980.54
	योग	**4475**	**16942.94**

(डी) 5535.36 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की जानी है जिसकी गणना निम्न प्रकार दी गई है :–

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1	वर्ष के दौरान उपभोग यूनिटें	8200 यूनिटें
2	अनधिकृत भार	2.883 किलोवाट
3	अधिक कनेक्टिड लोड सरचार्ज (2.883 किलोवाट × 220/– किलोवाट × 6 मास)	3805.56 रुपए
4	अतिरिक्त निश्चित प्रभार (2.883 किलोवाट × 100/– किलोवाट × 6 मास)	1729.80 रुपए
5	कुल जुर्माना (3+4)	5535.36 रुपए

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर एक दस्तावेज मंत्री जी को भी दिखाना चाहूंगा और आपके समक्ष पटल पर भी रखना चाहूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का सर्कुलर 60/2007 दिनांक 10.8.2007 डौमैस्टिक और नॉन डौमैस्टिक कंज्यूमर्ज के ऊपर ऐप्लीकेबल होता है। दूसरा सर्कुलर 28/2010 दिनांक 29.2.10 जो इंडस्ट्रीज पर ऐप्लीकेबल होता है। इस सर्कुलर में अनकनैक्टिड लोड के बारे में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि फैक्टरीज के ऊपर अनकनैक्टेड लोड यदि पाया जाता है तो उन पर फाइन कम है और एक दुकानदार जो कि नॉन डौमैस्टिक की श्रेणी में आता है, उस पर अनकनैक्टिड लोड पाया जाता है तो फाइन ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको टेबल के माध्यम से बता सकता हूं कि नॉन डौमैस्टिक में अनकनैक्टिड लोड पर यदि टोटल फाइन किलोवाट के हिसाब से 20509 रुपये बनता है, उतने ही किलोवाट पर वह फाइन इंडस्ट्रीज पर मात्र 3960 रुपये बनेगा। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का ऐसा रवैया क्यों है कि जब फैक्टरी ऑनर को अनकनैक्टिड लोड लेते हुए पाया जाता है तो उस पर फाइन कम है, अर्थात 220 किलोवाट के हिसाब से है और उसकी बिलिंग भी 6 महीने की की जाती है, जबकि जो डौमैस्टिक या दुकानदार है उसके ऊपर 12 महीने की बिलिंग के साथ फाइन लगाया जाता है इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह बड़ा ही वाजिब है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि डौमैस्टिक क्षेत्र में जुर्माने की राशि का फार्मूला एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित किया गया है । इसे सैंट्रल एक्ट, 2003 के अनुसार ही फिक्स किया गया है । उसमें यह है कि कंज्यूमर पिछले 12 महीने की जो वास्तविक यूनिट है उसमें से जितनी वह कंज्यूम करता है, जिसके बारे में इन्होंने कहा है उसका फार्मूला इस प्रकार है जो अनधिकृत लोड वह ले रहा है जमा उसका स्वीकृत लोड जमा अनधिकृत स्वीकृत लोड, इन सब को जमा करके उसको 8200 से तकसीम करके फार्मूला तैयार किया

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

है। उसके मुताबिक जो यूनिट आए हैं । उदाहरण के तौर पर यदि कंज्यूमर एक साल में 8200 यूनिट कंज्यूम करता है और उसमें से अनधिकृत लोड में 4475 यूनिट फालतू यूज कर लेता है, उस अनाधिकृत लोड की परिभाषा के मुताबिक यह फार्मूला है। उसके मुताबिक इनकी बात सही है कि 16942 रुपये फाइन एक साल का कैलकुलेट करके लगाते हैं । उस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि जुर्माना डबल भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज का अलग फार्मूला है वह किलोवाट बेसिस पर आधारित है । अगर उतने ही यूनिट उस कंज्यूमर ने उस रेश्यो से इस्तेमाल किए हैं। इस बारे में संभवतः आपके पास पटल पर भी विवरण होगा, उसके मुताबिक 6 महीने की राशि कैलकुलेट करके 5535 रुपये आती है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिस्पैरिटी है। एच.ई.आर.सी. का जहां तक ताल्लुक है, सभी कंपनीज अपने सारे ए.आर.आर. एच.ई.आर.सी. को सब्मिट करते हैं। हीयरिंग देते हैं और उसके उपरान्त एच.ई.आर.सी. यह फाइन निर्धारित करता है लेकिन इसमें इण्डस्ट्रीज का तो नोटिफाई कर दिया गया है और डोमैस्टिक का नोटिफाई नहीं किया है । उसके लिए दिनांक 13.9.2010 के आदेश को ध्यान में रखते हुए घरेलू श्रेणी और अन्य श्रेणी जो अधिसूचित नहीं की गई है उसके लिए एच.ई.आर.सी. को अनुरोध कर दिया गया है और वह हियरिंग के उपरान्त इस पर डिसीजन लेंगे और जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करेंगे ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इण्डस्ट्रीज पर जो फाईन लगाया जाता है उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो डोमैस्टिक पर फाईन लगाया जाता है उसको घटाया जाए। बोर्ड का रवैया कन्जूमर के प्रति फ्रैंडली होना चाहिए । साधारणतः देखा गया है कि बोर्ड का रवैया कन्जूमर के प्रति फ्रैंडली नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । जो अनअथोराईज्ड लोड होता है उसके बारे में many times Government has given a scheme for voluntary disclosure. उससे कोई भी कन्जूमर अपने घर में बिजली वालों को घूसाकर राजी नहीं है । इस बात को मध्य नजर रखते हुए वहां का रैण्डम सर्वे करके बिना मीटर की चैकिंग के जो भी अनअथोराईज्ड लोड है उसको रेगूलराईज कर दिया जाए तो यह बोर्ड के लिए और कन्जूमर के लिए एक अच्छा प्रावधान रहेगा । जो लोड का फाईन 95-95 हजार रूपये छोटे-छोटे दुकानदारों पर और घरों के कन्जूमर पर लगता है उसको मध्य नजर रखते हुए बोर्ड को कोई पोलिसी बनानी चाहिए ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may please note down it because he has not asked any question but he has given his suggestion only. You may record his suggestion.

Shri Mahender Partap Singh : All-right Sir. अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में भी बताया है कि यह डिसपैरिटी है लेकिन एच.ई.आर.सी. पर सैन्ट्रल एक्ट, 2003 के अनुसार ही कंट्रोल किया जाता है । उसके मुताबिक यह सिस्टम हमारे यहां ही नहीं

है बल्कि यह अन्य सूबों में भी लागू है जैसे पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी यह एक्ट लागू होता है । यह ठीक है कि डौमैस्टिक लोड पर पैनेल्टी ज्यादा नजर आती है और इण्डस्ट्रीज पर उसकी आधी के करीब है । लेकिन इण्डस्ट्रीज पर जो पैनेल्टी लगती है वह छः महीने के लिए लगती है अगर इसमें साल का कल्कुलेट करें तो कमोबेश कोई ज्यादा अन्तर नहीं होगा, फिर भी ज्यादा है । आप तो जानते हैं कि आज निगम एक ऑटोनोमैस बॉडी है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उनका अपना है। सरकार तो सुझाव या दूसरे प्रकार के कंट्रोल कर सकती है अदरवाईज वे स्वतंत्र हैं । इन पर नियम और कानून सारे भारत सरकार के एक्ट के अनुसार ही लागू होते हैं और सारा कंट्रोल भारत सरकार का है। जहां तक चैकिंग की बात है उसमें कुछ अनियमितताएं जरूर हो सकती हैं । आप जानते हैं कि आज लाईन लौसिस जिसे थैफ्ट भी कह सकते हैं वह कहां तक बढ़ा है जिसके कारण निगम को बेहद घाटा भी हुआ है । चैकिंग कहीं कहीं तो हो सकती है और कहीं गलती भी हो सकती है। जो सुझाव श्री बतरा जी ने दिए हैं उनको मैंने नोट कर लिया है उस पर विचार करेंगे और इसको ज्यादा सरल तथा जन उपयोगी जरूर बनायेंगें ताकि तकलीफ भी न हो और सुचारू ढंग से चल पाये ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं यह माना है कि इण्डस्ट्रीज का जुर्माना कम है और डोमैस्टिक कन्जूमर्ज और छोटे-छोटे दुकानदारों का बहुत ज्यादा है । अभी बतरा जी ने सुझाव दिया कि लोड बढ़ाया जाए । अक्सर देखा गया है कि लाईन लौसिस और चोरी बढ़ती हैं मैं नहीं मानता कि छोटे-छोटे मकान वाले और दुकान वाले ज्यादा चोरी करते हैं, चोरी तो इण्डस्ट्रीज वाले करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना जुर्माना इण्डस्ट्रीज से लिया गया और कितना जुर्माना डोमैस्टिक कन्जूमर्ज से लिया है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर इसके बारे में अलग से नोटिस दे दें तो इनको सारी फिगर्ज भी मिल जायेंगी । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लाईन लौसिस वर्ष 2004-2005 में थे उसके मुकाबले में आज बहुत कम हो गए हैं । अब लाईन लौसिज कम होकर करीबन 28-29 प्रतिशत तक आ गये हैं ।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एच.ई.आर.सी. का जिक्र किया कि एच.ई.आर.सी. रूल्ज एवं रैगूलेशंज बनाती है लेकिन एक्ट 2003 के अन्दर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है । एक्ट के मुताबिक एच.ई.आर.सी. को रूल्ज एवं रेगूलेशंज बनाने की पॉवर दी गई है ? मंत्री जी कभी भी एच.ई.आर.सी. के एक्ट में कोई अमैंडमैंट लाना चाहें तो एच.ई.आर.सी. को पावर है कि कभी भी एक्ट में अमैंडमैंट की जा सकती है । दूसरा लाईन लोसिज का मंत्री जी ने जिक्र किया है तो इस बारे में मेरी गुजारिश भी है और प्रश्न भी है कि 5 अक्तूबर को एच.ई.आर.सी. के चेयरमैन ने प्रिंसीपल सैक्रेटरी टू सी.एम. को एक लैटर लिखा है 'discom nearing collapse' यह बहुत इम्पोर्टैंट ईशू है । क्या मंत्री जी इस पत्र को सदन के पटल पर रखकर डिस्कशन करवाएंगें ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये क्या लैटर दिखा रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मुझे पता नहीं है कि अखबारों में क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है, क्या फैक्टस हैं या नहीं । (विघ्न) उसको तो देख लेंगें लेकिन जिस ढंग से ये कह रहे हैं उस तरीके की बात नहीं है । यह ठीक है कि एक्युमूलेटिव घाटा निरंतर 4-5 सालों से बढ़ा है और उसका कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार है । अच्छी बिजली, ज्यादा बिजली और गुणवत्ता वाली बिजली कंज्यूमर्ज को देने के लिहाज से खर्च भी बढ़े हैं और यह स्वाभाविक भी है। सबसे बड़ी चिंता रिकवरी की है । रिकवरी की वजह से घाटा भी और बढ़ा है । रिकवरी के लिए जहां सरकार का दायित्व है वहीं आप लोगों का, हर साथी एम.एल.ए. का भी दायित्व है कि हम पब्लिक को यह समझाएं कि जब तक हम बिल नहीं देंगें तब तक पावर हाउसिज कैसे चलेंगें और बिजली कैसे जनरेट होगी । अगर आप चाहेंगें तो हल्के वाइज यह रिपोर्ट भी मेरे से ली जा सकती है कि कहां कहां कितनी रिकवरी पैंडिंग है।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है । मैंने कहा है कि इस लैटर के ऊपर डिस्कशन करवाई जाए । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Badhra, you cannot directly ask him.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि ये सैपरेट प्रश्न दे दें तो इनको सारी जानकारी दे दी जाएगी । क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, क्या क्या फिगर्ज आपको चाहिएं क्योंकि यह सब जबानी नहीं बताया जा सकता ।

तारांकित प्रश्न संख्या-366

(इस समय माननीय सदस्य प्रो. सम्पत सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया ।)

Desilting of Canals

***347. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether there is any scheme to desilt the Sunder Branch and Hansi Branch Canal ; and

(b) if so, whether the arrangements for regular desilting and repair of the minors and distributaries adjacent to the above said canal will be made ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सुन्दर ब्रांच और हांसी ब्रांच के कुछ फैक्टस रखकर कहना चाहता हूं कि हांसी ब्रांच और सुंदर ब्रांच हमारे इलाके की जीवन रेखा हैं । ये दोनों ब्रांचे न केवल हमारे इलाके में बल्कि हिसार और भिवानी के इलाके को भी पानी सप्लाई करती हैं । सुंदर ब्रांच की कैपेसिटी टोटल 2600 क्यूसिक है और हांसी ब्रांच की कैपेसिटी 1900 क्यूसिक है । पिछले लगभग 10 सालों में सुंदर ब्रांच में एवरेज पानी 1100 से 1600 क्यूसिक और हांसी ब्रांच में 900 क्यूसिक से 1100 क्यूसिक चला है । बंसीलाल जी की सरकार के समय 1997 में इन ब्रांचिज की सफाई की गई थी और उसके बाद आज तक सफाई नहीं हुई । सफाई न होने की वजह से सरकार का घाटा हो रहा है । 2005 से पहले विभाग के माध्यम से सफाई करवाई जाती थी और 20-22 लाख रूपये की रेती की बिक्री की जाती थी । 2005 के बाद यह काम माइनिंग डिपार्टमैंट को दे दिया गया । माइनिंग डिपार्टमैंट ने एक साल काम करके वह काम बंद करवा दिया । डायरैक्टर डिस्पोजल ने बार बार यह लिखा है कि इनकी सफाई करवाई जाए । एक तो इससे 42 लाख रूपये के रिवैन्यू का गवर्नमैंट को नुकसान हुआ है और दूसरा विभाग की गलती से नाजायज रूप से 5 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च करके सुंदर ब्रांच की रेजिंग की गई है। उसके बाद भी इन ब्रांचिज की कपैसिटी नहीं बढ़ी । यह 5 करोड़ 60 लाख रूपये का नाजायज खर्चा गुमराह करके सरकार पर डाला गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बारे दोषी कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहरा कर कोई कार्यवाही करेंगें दूसरा क्या इसकी दोबारा रैगूलर सफाई का प्रोसीजर विभाग के माध्यम से चलाया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के एरिया में 78 माइनर्ज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं जिनमें से 17 की हमने 2010 में डिसिल्टिंग की है जिस पर 23.9 लाख रूपये खर्च हुए हैं । इसके अतिरिक्त 10 डिस्ट्रीब्यूट्रीज को रिपेयर भी किया है । माननीय सदस्य की यह बात सही है कि हांसी और सुंदर ब्रांचों की डिसिल्टिंग 1998 से नहीं हुई है । इस समय हांसी ब्रांच की कैपेसिटी 8000 क्यूसिक है और उसमें 7000 क्यूसिक पानी चलता है । सुंदर ब्रांच की कैपेसिटी 2689 क्यूसिक है और उसमें 2361 क्यूसिक पानी चलता है । रेजिंग की वजह से उनकी कैपेसिटी बढ़ी है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हांसी और सुंदर ब्रांचों की डिसिल्टिंग की जो बात उठाई है उनकी यह बात सही है कि इन ब्रांचों की डिसिल्टिंग होनी चाहिए । हमने आदेश दे दिए हैं और 23 जून, 2011 तक इन दोनों सब ब्रांचों की डिसिल्टिंग करवा दी जायेगी ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इन ब्रांचों की रैगूलर सफाई का विश्वास दिलाया है इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मैं मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि साल में दो बार माइनर्ज की सफाई के लिए विभाग की तरफ से पैसा जाता है लेकिन वास्तव में किसी भी माइनर की सफाई नहीं होती । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह मनरेगा स्कीम है इसके तहत भी माइनर्ज की सफाई करवाई जा सकती है । सरकार लगातार ठेका दे कर सफाई करवा रही है वह

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]
भी खत्म होगा । यदि मंत्री जी मनरेगा के तहत माइनर्ज की सफाई करवायेंगे तो हमारे जो मजदूर खाली बैठें हैं और कार्ड लेकर इधर-उधर घूम रहे हैं जिन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा उनको रोजगार भी मिल जायेगा और माइनर्ज की सफाई भी हो जायेगी । क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे ?

Mr. Speaker: Your question is whether this work can be done through 'MNREGA' ?

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : जी, सर।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिलकुल जायज है और हमने कैथल जिले में मनरेगा के तहत माइनर्ज की सफाई करवाई भी है । कैथल जिले में ए.डी.सी. और एस.ई. ने मनरेगा के तहत बहुत अच्छा काम किया है और हमने आदेश भी जारी करवा दिए हैं कि दूसरे जिलों में भी इसी तरह से माइनर्ज की सफाई करवाई जाये । लेकिन हमें दिक्कत वहां आती है जहां मजदूर नहीं मिलते परंतु जहां तक हो सके हम पूरी कोशिश करते हैं कि मनरेगा के तहत माइनर्ज की सफाई करवायें । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हांसी और सुंदर सब ब्रांचों की सफाई मनरेगा से नहीं हो पायेगी । इन सब ब्रांचों की सफाई मशीनों से करवाई जायेगी क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिसिल्टिंग हो गई है । जो छोटी डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माइनर्ज हैं उनकी सफाई मनरेगा से करवाने के लिए ए.डी.सीज. को कह दिया गया है । इसके अतिरिक्त हमारे प्रिंसीपल सक्रेटरी साहब ने भी सभी को चिट्ठी लिख दी है कि मनरेगा के पैसे का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाये ।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, what are you paying under 'MNREGA'?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, 179 रूपये प्रति दिन मजदूरी दी जाती है जो देश में सबसे ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर काम करने के लिए हमें मजदूर नहीं मिलते इसलिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है । कैथल जिले में बहुत बढ़िया काम हो रहा है इसी तरह से बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कैथल का जिक्र किया है और यह बात सही है कि वहां पर जितने माइनर्ज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं उनकी सफाई मनरेगा के तहत की गई है । वहां पर बहुत बड़ी सिरसा ब्रांच है उसकी सफाई जे.सी.बी., डोजर, या मनरेगा से जैसे-तैसे करवाई जा रही है । यदि सिरसा ब्रांच की सफाई की जा सकती है तो हांसी और सुंदर सब ब्रांचों की सफाई क्यों नहीं की जा सकती ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया जहां तक संभव होगा हम मनरेगा के तहत माइनर्ज की सफाई करवायेंगे लेकिन जो बड़ी कनाल हैं उनको

हम ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते । हांसी और सुंदर सब ब्रांचों से आगे भिवानी और सिवानी को पानी जाता है । यदि उनकी सफाई मैनवल करवायेंगे तो कई दिन तक पानी बंद करना पड़ेगा और आगे पीने के पानी की दिक्कत हो जायेगी । यही वजह है कि जो बड़ी कनाल हैं उनकी सफाई मशीनों से करवानी पड़ती है ।

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नांगल चौधरी हल्के की टेल्ज तक पानी पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री जी से मिला था और वहां कुछ जगहों पर पानी पहुंचा भी है । उस समय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि नांगल चौधरी में आखरी छौर तक पानी मार्च महीने तक पहुंच जायेगा लेकिन अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नांगल चौधरी में आखरी छौर तक पानी कब तक पहुंचेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि नांगल चौधरी में एक नांगल दुर्ग नाम से जगह है जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद हमने पहली बार इस क्षेत्र में पानी पहुंचाया है लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है कि वहां पर सब कुछ अच्छा हो गया है क्योंकि अभी भी वहां पर बहुत कुछ किया जाना बाकी रहता है । हमने मनरेगा के तहत भी वहां पर सफाई करवाई है। हम नांगल चौधरी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं ।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या वे मेवात क्षेत्र को हरियाणा का हिस्सा मानते हैं या नहीं । अगर सरकार इसको हरियाणा का हिस्सा मानती है तो गुड़गांव कैनाल में मंत्री जी इंक्वायरी करवा लें इस सरकार को सत्तासीन हुए साढ़े छह साल हो गये हैं लेकिन आज तक भी गुड़गांव कैनाल में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है । फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेरे हल्के से सम्बंध रखती है और बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेरे भाई आफताब अहमद जी के हल्के से होते हुए गुजरती है यहां से हमारा रोज़मर्रा के आने-जाने का रास्ता भी है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मेवात के क्षेत्र में कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ की कभी भी वैल-इन-टाईम सफाई नहीं हुई है । इस वक्त जब किसानों की फसल पकने के लिए तैयार है और उसे आखिरी पानी की आवश्यकता है अब कुछ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटरीज़ और कैनाल्ज़ की सफाई का काम शुरू हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं आने वाले सालों में एक तो इस बात का ध्यान रखें कि फसल की बुआई के सीज़न से पहले डिस्ट्रीब्यूटरीज़ और कैनाल्ज़ की सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक बार पुनः मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक किन्हीं कारणों से मेवात को अभी तक सरकारी रिकार्ड पर नहीं रखा गया है तो उसे अभी अपने रिकार्ड में जगह देने की कृपा करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमें मेवात क्षेत्र का पूरा-पूरा ख्याल है क्योंकि वह भी हमारे हरियाणा प्रदेश का ही एक हिस्सा है। इनके क्षेत्र में एक कोटला झील है जिसका हम जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I would like to know that ever since your Government has come, have you taken any steps towards making any recharging programme for Mewat regarding supply of drinking water or digging of lakes?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हम कोटला झील का विकास करने जा रहे हैं । इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के दौरे के दौरान अनाऊंसमैंट की थी। इसके साथ-साथ ये भी इस बात को मानेगें कि (विघ्न)

Mr. Speaker : He has asked a self answering question.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम कोटला झील का भी ध्यान रखेंगे । इसके अलावा जहां तक गुड़गांव और आगरा कैनाल में पानी की कमी की बात है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि गुड़गांव और आगरा कैनाल का कंट्रोल यू.पी. गवर्नमैंट के हाथ में है । हमने इस कैनाल में पानी की कैपेसिटी बढाने के लिए यू.पी. गवर्नमैंट के साथ पत्र-व्यवहार भी किया है और उनको इस बात का भी आश्वासन दिया है कि हम इसके बदले में उनके लिए दादूपुर हैड से अतिरिक्त पानी छोड़ देंगे । यहां इस कैनाल के बारे में मैं एक बात और यह कहना चाहूंगा कि क्योंकि यह कैनाल दिल्ली शहर से होकर गुजरती है जिस कारण इसके पानी की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है । इस बारे में भी हमने सैंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के साथ बात की है । हमें उम्मीद है कि इस समस्या का भी जल्द से जल्द कोई हल जरूर निकलेगा । माननीय सदस्य की गुड़गांव कैनाल में पानी की कमी से सम्बंधित चिंता बिल्कुल वाजिब है जिसे हम शीघ्र ही दूर करने के लिए अपने लैवल पर हर संभव प्रयास करेंगे ।

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मंत्री जी ने कोटला झील का जिक्र किया है । इस बारे में मैं मंत्री जी को एक रिकवेस्ट करना चाहता हूं कि जो सरकार ने पानी के स्टोरेज के लिए 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है उसको बढ़ाकर 500 एकड़ किया जाये जो कि गांव वाले देने के लिए तैयार हैं । धन्यवाद ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may note down his request.

Provision of Sewerage in Ambala Cantt.

***319. Shri Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage in the remaining part of Ambala Cantt. ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to install a Sewage Treatment Plant at Ambala Cantt. ; and

(c) if so, the time by which the aforesaid proposals are likely to be materialized ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) लघु तथा माध्यमिक कस्बों के लिए शहरी संरचना विकास योजना (यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत 20.82 करोड़ रुपये की लागत से 10 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण का कार्य नैशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन्ज कम्पनी (एन.बी.सी.सी.) द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो कि भूमि विवाद के कारण कानूनी कार्रवाई में रुका हुआ था। अब केस का निर्णय हो चुका है तथा नैशनल बिल्डिंग्ज कन्सट्रक्शन्ज कम्पनी (एन.बी.सी.सी.) को कार्य प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके पहले दोनों प्रश्नों का जवाब हाँ है और हम इसको जल्दी से जल्दी कर रहे हैं । जहां तक प्रश्न के (ग) भाग में इन्होंने पूछा है कि कब तक यह काम करवा दिया जायेगा ? इस बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा लघु तथा माध्यमिक कस्बों के लिए शहरी संरचना विकास योजना के अन्तर्गत 20.82 करोड़ रूपये की लागत से 20 एम.एल.डी. मुख्य पम्पिंग स्टेशन, 10 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट 1200 मीटर आउटफाल सीवरेज तथा 1500 मीटर इन्फल्यूरैंट्स कैरियर पाईप के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है । भारत सरकार ने 8.33 करोड़ रूपये बतौर अपना हिस्सा तथा राज्य सरकार द्वारा 2.8 करोड़ रूपये जारी कर दिये गये हैं । कुल 10 करोड़ 41 लाख रुपये में से 3 करोड़ 44 लाख रूपये खर्च भी किये जा चुके हैं । उपरोक्त कार्य एन.बी.सी.सी. को सौंपा गया है । इसका 25 परसैंट कार्य पूरा हो चुका है । किसी भूमि विवाद के कारण यह कार्य पिछले 6 महीने से अवरूद्ध पड़ा हुआ था अब उस केस का निर्णय हो चुका है । अब नैशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी को कार्य आरम्भ करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहली बार किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है । स्पीकर सर, मेरा पहला प्रश्न है कि रिमेनिंग पार्ट में सीवरेज कब तक डाल दिया जायेगा । सर, अम्बाला शहर बहुत पुराना शहर है । उसमें अभी तक मात्र 10-15 परसैंट इलाके में सीवरेज सिस्टम डाला गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बाकी के इलाके के लिए इन्होंने हाँ में जवाब दिया है उसके लिए क्या कोई फंड एलोकेट किया गया है और अगर किया गया है तो वह कितना फंड है और यह काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा? प्रश्न के दूसरे भाग में इन्होंने सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने की बात कही है वह कब तक शुरू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका पहला बड़ा प्वाइंटिड प्रश्न है पहले उसको पूछ लो दूसरा बाद में अलाउ कर दूंगा । Hon'ble Minister may mention the time frame and money involved in this.

श्री गोपाल काण्डा : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी के लिए 36 करोड़ रूपये की लागत की एक परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत अम्बाला सदर जोन शेष भाग में भिन्न-भिन्न आकार की 30 किलोमीटर लाईन जो कि इन्कम टैक्स कालोनी, बाजीगर कालोनी, जोगी मण्डी, जावली, दीना की मण्डी, खटीक मण्डी, विश्वकर्मा चौक, ग्वाल मण्डी, एफ.सी.आई. गोदाम के नजदीक शास्त्री कालोनी में बिछाने के लिए भारत सरकार को 3.6.2010 को स्वीकृति लेने के लिए भेजी जा चुकी है और इस परियोजना की स्वीकृति अभी भारत सरकार से अपेक्षित है । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास भारत सरकार की ओर से 190 करोड़ रूपये यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. की स्कीम के अन्तर्गत आये थे जिससे हमने पूरे हरियाणा के 30 शहरों को लोकेट किया था जिसमें से सबसे ज्यादा रूपया मेरे साथी श्री अनिल विज जी के शहर अम्बाला को, 21 और 36 कुल 57 करोड़ इनकी प्लान को अलाट किया है।

Mr. Speaker: Can you give the time-frame?

श्री गोपाल काण्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 21 करोड़ रूपये का एमाउंट था वह दे दिया है । केस भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है जैसे ही भारत सरकार से मंजूरी हो जायेगी तो 6 महीने के अन्दर-अन्दर हम इनका काम शुरू कर देंगे ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें इन्होंने कुछ कालोनियों के नाम भी लिये हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अम्बाला म्यूनिसिपल कारपोरेशन की लिमिट एक्सटैंड कर दी गई है । क्या उस सीवरेज का फायदा उस एक्सटैंडिड क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा ? अध्यक्ष महोदय,

11.00 बजे

इसी के साथ-साथ मैं दूसरी सप्लीमैंट्री पूछना चाहूंगा कि जिस सीवरेज सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा है कि हमने वहां पर लगाना शुरू कर दिया है । वह डिसप्यूटेड लैण्ड पर लगा दिया गया, किसी की प्राईवेट जमीन पर लगा दिया गया । उस प्राईवेट पार्टी ने पहले तो लोअर कोर्ट से इस मामले में स्टे लिया और अब हाई कोर्ट में एल.एम.मित्तल, माननीय जज की अदालत में भी सरकार हार चुकी है । अध्यक्ष महोदय, बीस करोड़ रूपया उस डिसप्यूटेड लैण्ड पर बिना यह वैरीफाई किए कि क्या वह सरकार की जमीन है या नहीं है, इन्होंने उस पैसे को लगा दिया और अब अगर बाकी पैसे को भी उस जमीन पर लगाएंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है । इस तरह से करोड़ो रूपया सरकार का खर्च हो जाएगा लेकिन उसका लोगों को लाभ नहीं मिलेगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्लांट को लगाने की किन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी ? वह यह देखते कि यह जमीन सरकार की है या नहीं है । किनकी गलती की वजह से उस डिसप्यूटेड लैण्ड पर यह प्लांट लगाया गया । क्या सरकार उन अधिकारियों के

खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी जिन्होंने डिसप्यूटेड लैण्ड के ऊपर इस प्लांट को लगाया और क्या कोई नयी जगह इस प्लांट के लिए तलाश करके वहां पर इस सीवरेज प्लांट को लगाया जाएगा ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको पहले ही बता चुका हूं कि यह जो भूमि विवाद था वह अब हल हो चुका है। जो इन्होंने पूछा है कि क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस मामले की जरूर इंक्वायरी करेंगे कि इस मामले को लम्बित होने में किसका दोष है और किस कारण से यह डिले हुआ है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह 14.12.2010 का हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसमें हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कमेटी की अपील को डिसमिस किया है ।

Mr. Speaker: Vij Sahib, send it to me please.

श्री अनिल विज : ठीक है, सर ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक जनरल सा क्वैश्चन है । आम तौर पर शहरों में यह देखा जाता है कि जो मार्किटस हैं वहां पर दुकानों के बाहर फड़ी वाले बैठे होते हैं इनसे किराया दुकानदार लेते हैं जबकि वह स्थान सरकारी होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वे इस तरह की प्रथा बंद करने वाले हैं और अगर बंद करने वाले नहीं हैं तो ऐसी जगहों का किराया दुकानदार क्यों लें, क्यों नहीं ऐसी जगहों का किराया म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिनके पास आज कल पैसों की कमी है, वह लें ? क्या वे इस तरह का कोई प्रोविजन करने वाले हैं ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, न तो सरकार ने ऐसा कोई प्रोविजन बनाया हुआ है कि अनअथोराइज्ड जगहों पर रेहड़ी वाले खड़े हों और उनसे किराया लिया जाए और न ही हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर एनक्रोचमैन्ट हो और उसको हम एलाऊ करें।

Supply of Canal Water

***548. Shri Ram Niwas Ghorela :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the canal water is supplied for seven days after the spell of 15 days in the villages of Hisar ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal water for 15 days in a month ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

श्री राम निवास घोड़ेला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले हिसार जिले की नहरों में 15 दिन पानी चला करता था लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जबकि पानी नहरों के अंदर पूरा है ? जो हमारे पड़ोसी जिले हैं उनके अंदर दो हफ्तों तक पानी चलता है । कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री महोदय हिसार गए थे तो हमने उनके सामने भी अपनी यह डिमांड रखी थी । हिसार जिले में जमीन का पानी खारा है और अब गर्मी भी आने वाली हैं इसलिए वहां पर दो हफ्तों तक नहरों में पानी चलना चाहिए । वहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हिसार जिले में जहां से पानी आता है उसके चार सोर्सिज हैं । बालसमन्द सब ब्रान्च टेल, सिरसा ब्रान्च टेल, हांसी ब्रांच टेल और कृष्णागढ़ सब ब्रांच इन चार ब्रांचिज से वहां पर पानी आता है। जो इनका बरवाला का एरिया है वह बी.एम.एल.बरवाला से लिंक्ड है और उसकी कैपेसिटी 1724 क्यूसिक है । जो खनौरी, पंजाब से पानी आता है तो वहां पर 1600 क्यूसिक पानी ही चलता है और इसको दो ग्रुप में हम चलाते हैं । पानी कम आने का मुख्य कारण यह है कि इसकी कैपेसिटी वहां पर इतनी नहीं है कि इसको हम दो ग्रुप में चला पाएं । हिसार जिले के अंदर जो फतेहाबाद ब्रांच है उसमें 16 दिन पानी चलता है और 16 दिन बंद रहता है । अध्यक्ष महोदय, बी.एम.एल. हांसी बुटाना लिंक कैनाल बनाने का मकसद यही है । अध्यक्ष महोदय, एक जिले में तीन ग्रुप चलते हैं और एक जिले में दो ग्रुप चलते हैं । आज भी हमारे पास डब्लू.जे.सी. में पानी लाने की कैपेसिटी नहीं है। । यह नारनौंद और हांसी का जो एरिया है इसमें हांसी ब्रांच को चार ग्रुप में चलाते हैं और 32 दिन में 8 दिन पानी पहुंचता है। इनके क्षेत्र में तीन ग्रुप ए.बी.सी. में जहां चलते है, उसमें 24 दिन में 8 दिन पानी चलता है। जो मैनीफैस्टो में हमने बात रखी थी कि बी.एम.एल. हांसी बुटाना नहर बन जाती है तो कुछ जिलों के साथ पानी के मामले में जो भेदभाव हो रहा है, उनमें हम पानी दे पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पानी का हमारे पास कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम इसे तीन ग्रुप में चला सकते हैं और 16 दिन हम पानी नहीं चला सकते। (विघ्न)

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 3 सिस्टम में पानी चलाते हैं उसके हिसाब से 24 दिन पानी बंद रखेंगे और 8 दिन पानी चलाएंगे। यह रिकार्ड की बात है आप टेलों की गेज का रिकार्ड निकलवाकर देख लें 32 दिन नहर बंद रहती है और सिर्फ 8 दिन चलती है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्वेशचन क्या है ?

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेशचन यह है कि जैसा मंत्री जी ने कहा है 16 दिन पानी चलता है। 16 दिन पानी नहीं चलता है। ये असत्य कह रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहीं यह नहीं कहा । आपने सुना नहीं शायद । मैंने कहा है कि जो फतेहाबाद ब्रांच है क्योंकि वह बी.एम.एल. से कनैक्टिड है और फतेहाबाद सिरसा के एरिया में 16 दिन पानी चलता है और 16 दिन बंद रहता

है । डब्लू.जे.सी. सिस्टम जो है उसमें जिला हिसार की ही बात को लें । उसमें डब्लू.जे.सी. सिस्टम से चार ग्रुप में पानी चलता है। जो नारनौंद हांसी का एरिया है वहां के बारे में मैंने यह कहा है कि 8 दिन पानी चलता है और 32 दिन बंद रहता है । जो बी.एम.एल. बरवाला ब्रांच है, वहां पर 8 दिन पानी चलता है और 24 दिन बंद रहता है। इस प्रकार एक ही जिले में तीन किस्म की बातें हैं इसीलिए हम बी.एम.एल.हांसी बुटाना नहर बनाना चाह रहे हैं। जब एक जिले के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे हरियाणा के साथ पानी के मामले कितना अन्याय हो रहा है और कितने साल से अन्याय हो रहा है , उस अन्याय को हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन उस नहर को बनाते हैं तो इनके नेता अजय चौटाला जी कहते हैं कि बी.एम.एल.हांसी बुटाना नहर बनाएंगे तो हरियाणा में गृह युद्ध हो जाएगा ।

Mr. Speaker: Mr. Jagdish Nayar, I am allowing you to ask the question but you have said something for which I have to give answer.

Mr. Jagdish Nayar: I know very well, Sir.

श्री अध्यक्ष : किसी शायर ने कहा है :-

सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है मगर
सबपे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं ।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में होडल रजबाहा, सीया माइनर, हसनपुर रजबाहा, गोंछी ड्रेन, उजीना ड्रेन की बात है। (विघ्न) सर, नहरों के पानी की बात है। सर, जब से यह सरकार बनी है 6-6 महीनों के अंदर इन ड्रेनों में पानी आता है। जब कि पहले सिस्टम के तहत 7 दिन के अंदर आ जाता था ।

श्री अध्यक्ष : क्वेशचन प्लीज ।

श्री जगदीश नैय्यर : सर, मैं नहरों के बारे में क्वेशचन ही पूछ रहा हूं। पहले जो इसका शिड्यूल था उसके तहत 7 दिन में पानी आता था । सर, किसानों को पानी की जरूरत होती है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे एरिया की नहरों में जाकर देखें, मैं आपको इन्वाइट करता हूं। वहां नहरों में झाड़ियां और पेड़ खड़े हैं, नहरें अटी पड़ी हैं और उन नहरों की कोई सफाई नहीं होती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्वेशचन तो हिसार का है और माननीय सदस्य होडल के बारे में पूछ रहे हैं । मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये इस बारे में सैपरेट नोटिस दें और मुझे कभी आकर मिलें । इनकी समस्या डीसिल्टंग की है और उस समस्या का समाधान किया जाएगा । मैंने बताया भी था कि इनके हल्के से जो आगरा कैनाल निकलती है, उसका कंट्रोल यू.पी. गवर्नमैंट के पास है इसलिए इन क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम मिलती है। माननीय सदस्य की बात बिल्कुल वाजिब है । जो इन्होंने डीसिल्टिंग की बात कही है

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में जहां डीसिल्टिंग की जरूरत होगी, वहां जरूर करवाएंगे।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में आगरा कैनाल से पानी आता है लेकिन यह बात हरियाणा के लोग शायद जानते हैं कि आगरा नहर का पानी सिर्फ किढवाडी गांव तक ही 15 प्रतिशत आता है वहां से आगे किसी भी रजबाहे में पानी को नहीं जाने दिया जाता । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किढवाडी गांव से आगे भी आगरा नहर का पानी जाने दिया जायेगा या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आगरा नहर का पानी बहुत खराब आता है । माननीय सदस्य मुझे इस बारे में लिखकर भेज दें तो इनको सही जवाब दिया जा सकता है ।

Mr. Speaker: You may ask your question, Mr. Kaushik ji.

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, पानी के लिए माननीय सदस्यगण जद्दोजहद कर रहे हैं । हमारे फरीदाबाद में जो हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक औद्योगिक नगर है उसमें आज तक पीने का पानी नहीं है । हम भी चाहते हैं कि हम नहर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें । मैं इस बारे में कल एक क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन उसका शायद नम्बर नहीं लगा ।

Mr. Speaker : Mr. Kaushik Ji, please ask your specific question.

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहरी पानी से जुड़ा हुआ है । कल मैंने इस बारे में एक प्रश्न लगाया था लेकिन वह क्वैश्चन नहीं लग पाया ।

Mr. Speaker : Forget it, please ask your question.

श्री आनन्द कौशिक : स्पीकर महोदय, हम चाहते हैं कि हम भी नहरी पानी पीने के लिए प्रयोग करें । मैं माननीय इरीगेशन मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हमें नहरी पानी पीने के लिए मिलेगा ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, drinking water is not his subject matter. Drinking water is supplied by the Public Health Engineering Department.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद शहर को गुड़गांव-आगरा कैनाल का पानी मिलता है वह पानी इतना गन्दा आता है कि उसकी बी.ओ.डी. 15 से 30 तक ही होती है । इस बारे में हमने कई बार भारत सरकार के सैण्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड से भी टेक अप किया है कि आगरा कैनाल का साफ पानी दिया जाये ताकि फरीदाबाद शहर को पीने के लिए साफ पानी मिल सके ।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आनन्द कौशिक साहब ने कल इस बारे में प्रश्न पूछा था उसका जवाब अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर ने सदन के पटल पर रखा और उसका कल जवाब भी दिया गया । इसका जवाब बड़ा स्पैस्फिक था । इसके लिए 100 करोड़ रूपये मन्जूर किये गये हैं अगर मुझे सही आंकड़े याद हैं । फरीदाबाद में टयूबवैल के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जाती है और विभाग को यह लगता है कि कारपोरेशन के पास बेह्तर क्वालिटी का पानी देने के लिए यह सबसे उचित माध्यम है और सब शॉयल वाटर सफिशैन्ट है ।

Percentage of Employees in BBMB

***451. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether the employees working in Bhakra Beas Management Board (BBMB) are employed in the ratio of funds given by the States of Punjab, Haryana & Rajasthan in various projects ; if so, the %age of the employees of above States alongwith total strength State-wise ; and

(b) the number of employees belonging to Himachal Pradesh in these projects and whether any funds are released by Himachal Pradehs Government ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No Sir,

(b) 142 Nos. employees belonging to Himachal Pradesh are working in BBMB on various projects. No funds are released by Himachal Pradesh Government.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं । बी.बी.एम.बी. का एग्रीमैंट between these states कब हुआ था और उसमें पोस्टें शेयर करने का क्या प्रोवीजन है ? मेरे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है कि स्टेट वाइज कितनी स्ट्रैंथ आज बी.बी.एम.बी. प्रोजैक्ट में है इसका जवाब नहीं दिया गया है । हिमाचल स्टेट इस प्रोजैक्ट में कोई फण्ड नहीं दे रहा है और उनके 142 एम्पलाईज बी.बी.एम.बी. में कार्य कर रहे हैं । वे एम्पलाईज किस किस कैटेगरीज के हैं और क्या उस कैटेगरी के एम्पलाईज हरियाणा स्टेट में एवेलेबल नहीं थे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की बात बिल्कुल सही है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि एम्पलाईज का जो रेशो है वह पंजाब का 42 परसैंट है, हरियाणा का 28 परसैंट है, राजस्थान का 7 परसैंट है और 23 परसैंट बी.बी.एम.बी. रिक्रूट करता है । यह बात बिल्कुल सही है कि हिमाचल का इसमें शेयर नहीं है । हमने यह बात कई बार उनके सामने रखी है। केवल 142 ऐसे एम्पलाईज हैं जिनमें से ए. और

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

बी. ग्रेड के 38 तथा सी. और डी. ग्रेड के 104 हैं। पिछले दिनों हमने उनको एक लैटर लिखा है कि हरियाणा की टोटल ए. और बी. ग्रेड की वकैन्सीज 92 हैं तथा ग्रेड सी. और डी. की वकैन्सीज 1481 हैं । अभी पीछे हमने एस.डी.ओज. की भी भर्त्ती की थी । पहले भी यह प्रश्न आया था । बी.बी.एम.बी. के अलावा हमने अलग से एडवर्टाइजमैंट करके एस.डी.ओज. और जे.ईज. भी लगाए थे और आगे भी यह कार्यवाही करेंगें । हम स्पैशल एडवर्टाइजमैंट केवल बी.बी.एम.बी. के लिए निकालेंगें ताकि जो वहां जाना चाहे वही एप्लाई करें क्योंकि नार्मली बी.बी.एम.बी. में कोई जाना नहीं चाहता । हम अलग से एड निकालेंगें चाहे वह क्लास फोर की हो या फिर ग्रुप सी. और डी. की हो । हमारे फाइनांस सैक्रेटरी इरीगेशन ने आलरेडी एक लैटर लिखकर भेज दिया है कि वे कोई भर्त्ती हरियाणा के हिस्से की नहीं करेंगें बल्कि हम स्वयं करेंगें ।

Shri Jagbir Singh Malik : Thank you, Sir.

Construction of Bus Stand

***358. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal to construct new Bus Stand in Barwala and a new High-Tech Bus Stand in Panchkula ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : हां, श्रीमान् जी। बरवाला में बस अड्डा निर्माण करने का प्रस्ताव अनुमोदित है। पंचकूला में एक नया उच्च तकनीकी बस अड्डा पी.पी.पी. (पब्लिक–निजि भागीदारी) के आधार पर बनाने की योजना है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बरवाला के अंदर नया बस स्टैंड बनाने का प्रावधान और पंचकूला के बस स्टैंड को हाई टैक करने का प्रावधान किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और इस पर कितनी लागत आएगी तथा यह कार्य कब तक खत्म होगा ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, जिला पंचकूला में बरवाला ए. श्रेणी का बस स्टैंड बनाने के लिए 9.95 लाख रूपये की अनुमानित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति यादि क्रमांक 531/2000,5 टी. II दिनांक 11.7.2002 अनुसार दे दी गई थी । कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि कार्य ठेकेदार को अलाट कर दिया गया था । ठेकेदार द्वारा 2003 में कार्य आरम्भ कर दिया गया था । इस कार्य पर 1.79 लाख रूपये खर्च हो चुके थे और 9.95 लाख रूपये में से 8.16 लाख रूपये विभाग को वापिस दिए जा चुके हैं । माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 7900/2003 में स्थगन आदेश अनुसार कार्य रोक दिया गया था । उपरोक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.2005 द्वारा निरस्त कर दी गई थी। अब विभाग द्वारा उपरोक्त बरवाला का बस स्टैंड उसी स्थान पर जनता की सुविधा के लिए बनाने के लिए

निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है । तदअनुसार कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पंचकूला ने बस अड्डा बरवाला में निर्माण के लिए 41.06 लाख रूपये अनुमानित खर्चा तैयार करके अपने पत्र दिनांक 2.3.2011 को भेजा है, जो कि विचाराधीन है । अध्यक्ष महोदय, इसमें 1400 गज पी.डब्ल्यू.डी. की जगह है जिसके ऊपर एक बड़ा शैड, दो कमरे और टॉयलैट बनाकर देंगे ।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बरवाला का बस स्टैंड है that is the gateway of the five States: Haryana, U.P., Punjab, Himachal and Union Territory. वहां केवल मात्र 40 लाख रूपये की लागत से तो चार दीवारी का कार्य भी पूरा नहीं हो सकता इसलिए उसका एस्टीमेट ज्यादा बनाया जाये । अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि पंचकूला के बस स्टैंड को हाई टैक बनाने की स्वीकृति दी है, उस पर कितना एस्टीमेट लगेगा ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जगह नाराणगढ़-पंचकूला रोड़ की क्रोसिंग पर है । इस 1400 गज जगह पर एक बड़ा शैड, दो कमरे और टॉयलैट जो एस्टीमेट बनाया गया है उससे बन जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का दूसरा सवाल है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पंचकूला के अंदर सैक्टर-5 में 12 बेज का बस अड्डा 1989 से बना हुआ है । यह बस अड्डा हुडा द्वारा दी गई 12.5 एकड़ भूमि पर बना हुआ है । यह भूमि 195.50 लाख रूपये में मिली थी और इस पर 110.83 लाख रूपये की लागत से यह बस अड्डा बनाया गया था। अब सैक्टर-5 में विभाग के कब्जे वाली उस जमीन पर एक नये उच्च तकनीकी बस अड्डे को पी.पी.पी. आधार पर निर्माण करने का निर्णय लिया है । इस योजना के लिए मैसर्ज फीड बैक वैंचर्स प्राईवेट लिमिटिड को सलाहकार नियुक्त किया गया है । इनके द्वारा साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जो विभाग के विचाराधीन है लेकिन मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि पी.पी.पी. मोड पर हम सबसे पहले एक्सपैरीमैंट के आधार पर करनाल में बस अड्डा बनाने जा रहे हैं उसके फोरन बाद पंचकूला में काम शुरू किया जायेगा ।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायपुर रानी कालका विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है । क्या सरकार का वहां नया बस अड्डा बनाने की कोई योजना है । अगर है तो वहां कब तक बस अड्डा बनना शुरू हो जायेगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि पिंजौर से नालागढ़ और कालका से चण्डीगढ़ रूट्स पर हरियाणा रोडवेज की बसें नाम मात्र की चलती हैं जिसके कारण वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है । हमने अखबारों और मिडिया के माध्यम से भी यह मांग रखी थी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । क्या मंत्री जी इन रूट्स पर नई बसें चलाने का प्रावधान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम रायपुर रानी में नया बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द वहां काम शुरू कर दिया

[श्री ओम प्रकाश जैन]
जायेगा । जहां तक बसों के चलाने की बात है इस बारे में माननीय साथी मुझे लिखकर भिजवा दें कि कौन-कौन से रूट्स पर बसें चलानी हैं, अगर पोसीबल होगा तो हम बसें चला देंगे ।

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अंदर मोडल बस अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । क्योंकि इसके लिए पहले से ही वहां 12 सैक्टर में जगह चिन्हित है और इस बारे में पहले भी हमें आश्वासन मिला था ।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में भी पी.पी.पी. मोड पर हम नया बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं ।

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नांगल चौधरी जब हरियाणा से जयपुर को जाते हैं तो राजस्थान बार्डर पर पड़ता है और वहां से होते हुए बहुत ज्यादा बसें जयपुर को जाती हैं । क्या वहां पर बस अड्डा बनाना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में बस स्टैण्ड के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दें तो इस बारे में विचार किया जा सकता है ।

कर्नल रघुबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि बाढड़ा में बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए शिलान्यास हो चुका है और पत्थर भी रखा जा चुका है लेकिन अभी तक बस स्टैण्ड का निर्माण नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बाढड़ा के अन्दर नया बस स्टैण्ड बनाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, बाढड़ा में 2.5 एकड़ में बस स्टैंड के निर्माण का कार्य जारी है जिसमें 70 परसैंट कार्य पूर्ण हो चुका है और जो काम रह गया है वह भी शीघ्र पूरा हो जायेगा ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि पानीपत का जो सामान्य बस अड्डा है वह जी.टी. रोड़ के ऊपर है जिसकी वजह से वहां पर बसों और दूसरे व्हीकल्स का ज्यादा ट्रैफिक होने से सारे का सारा दिन जाम ही लगा रहता है । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बस स्टैण्ड को किसी दूसरी खुली जगह पर शिफ्ट किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि पानीपत मेरा जिला है और पानीपत ग्रामीण मेरा विधान सभा हल्का है ।

मेरा भी यह पुरज़ोर प्रयास है कि पानीपत के सामान्य बस स्टैण्ड को शहर से बाहर ले जाकर एक अच्छा और आधुनिक बस स्टैण्ड पानीपत की जनता को दें । इस बारे में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो चुकी है और उन्होंने भी हमारी इस मांग को मान लिया है ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं ।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि समालखा बस स्टैण्ड जी.टी. रोड पर स्थित है जब से समालखा में जी.टी.रोड पर फ्लाई ओवर बना है तब से तमाम बसें बस स्टैण्ड के अंदर न जाकर फ्लाई ओवर से ही जा रही हैं जिससे सभी यात्रियों और विशेषकर स्टूडैंट्स को भारी परेशानी होती है । क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करवायेंगे कि सभी बसें समालखा बस स्टैण्ड से होकर जायें ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

श्री अध्यक्ष : क्या यह आपकी रिकवैस्ट है?

श्री धर्म सिंह छोक्कर : जी, सर ।

श्री अध्यक्ष : इसे आप मंत्री जी को लिखकर दे देना । Now, next question please.

District Headquarter of HAFED

***400. Shri Subhash Chaudhary :** Will the Cooperation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to form District Headquarter of HAFED in District Palwal ; if so, the time by which the aforesaid Headquarter is likely to be formed ?

Cooperation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : No, Sir.

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि (विघ्न)

Mr. Speaker : Subhash Ji, please ask your specific question.

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मैं वही पूछ रहा हूं। सरकार ने होडल में गेहूं और सरसों बेची उसमें करीबन 3–4 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसका एक कारण यह है कि जिला मुख्यालय भी पलवल में नहीं है क्योंकि वह बल्लभगढ़ है।

Mr. Speaker : Subhash Ji, this is not your question. This is not relevant.

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हैफ़ड का जिला मुख्यालय पलवल में बनाया जायेगा या नहीं ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, please ask your specific question and it does not relate to your specific question.

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, घोटाला इसी में तो हुआ है इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हैफड का जिला मुख्यालय पलवल में बनाया जाये यह मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है।

Mr. Speaker : O.K. Subhash Ji, your request has noted down by the Minister concerned. Now, please be seated. Hon'ble Members, now, question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of New Road

***403. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Sutana to main road Assandh upto Thermal ; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Upgradation of Govt. Girls High Schools

***434. Col. Raghbir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government Girls High School, Badhra, Government Girls High School, Gothra and Government Girls High School, Rambas have not been upgraded as Government Senior Secondary School so far inspite of the fact that aforesaid schools fulfill all the conditions required for upgradation ; if so, the time by which the aforesaid schools are likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, प्रश्नाधीन विद्यालय स्तरोन्नति के मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं। इसलिए इन विद्यालयों को स्तरोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

To Open a College at Uklana

***427. Shri Naresh Selwal :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Uklana ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Speed Breakers

***408. Shri Ghanshyam Saraf :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the criteria and the rules relating to construction of speed-breakers on the roads in the State togetherwith the number of speed breakers constructed in the State ; and

(b) the time by which the construction work of the Over-Bridge on Tosham Bye-pass in Bhiwani is likely to be completed and whether any time limit has framed for completion of the aforesaid Over-Bridge ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्रीमान जी, गतिरोधकों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस प्रकाशन संहिता के दिशा–निर्देश से कराया जाता है। राज्य में अलग से कोई हिदायतें या नियम नहीं बनाये गये हैं। वर्तमान में, राज्य में 2693 गतिरोधक मौजूद हैं।

(ख) श्रीमान् जी, भिवानी में तोशाम बाई–पास पर प्रस्तावित उपरि पुल की योजना प्राथमिक स्तर के कारण समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Dilapidated Condition of Bridge

***421. Shri Dilbag Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the bridge over Yamuna-river near village Buria in Yamunanagar is in a dilapidated condition ; if so, whether any steps has been taken to reconstruct the aforesaid bridge alongwith the details thereof ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी, गांव बुड़िया के नजदीक जिला यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है।

Compensation to the Affected Persons

***503. Shri Sher Singh Barshami :**
Shri Krishan Pal Gujjar :
Shri Pardeep Chaudhary :

Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state the districtwise details of compensation given to the affected persons whose crops/properties, Tube-wells etc. have been damaged during the floods in June-July-August, 2010 in the state ?

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

जून, जुलाई, अगस्त की बाढ़ के कारण उपायुक्तों को स्वीकृत की गई राशियां
(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	जिला	क्षतिग्रस्त फसलें	नलकूप	मानवीय मृत्यु राहत	मकानों की मरम्मत	जल निकासी	भोजन तथा कपड़े
1.	अम्बाला	907.55	13.87	32.00	186.17	27.50	7.25
2.	फतेहाबाद	3579.63	85.80	12.00	64.00	2.50	0.25
3.	कैथल	2991.31	17.32	—	5.87	15.50	3.25
4.	कुरुक्षेत्र	2958.89	25.72	20.00	151.00	27.50	7.25
5.	सिरसा	1819.15	10.35	6.00	291.22	14.39	0.25
6.	यमुनानगर	66.60	27.52	24.00	239.02	2.50	0.25
	कुल	12323.13	180.58	94.00	937.28	89.89	18.50

क्र.सं.	जिला	चारा	सिरकी तथा टैंट	विविध	पशु हानि	पीने का पानी
1.	अम्बाला	3.25	0.25	3.25	2.50	5.00
2.	फतेहाबाद	0.25	0.25	0.25	0.50	
3.	कैथल	1.25	9.25	1.25	2.50	1.00
4.	कुरुक्षेत्र	3.25	0.25	7.50	2.50	5.00
5.	सिरसा	0.25	0.25	0.25	0.50	
6.	यमुनानगर	0.25	0.25	3.00	0.50	
	कुल	8.50	1.50	15.50	9.00	11.00

Reconstruction of Bridge

***544. Shri Bishan Lal Saini :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the old Hamida Bridge (Yamuna Nagar) on Yamuna Canal is lying damaged for the last three years ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the aforesaid bridge ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : नहीं, श्रीमान जी। आवर्धन नहर का हैड रेगुलेटर (जोकि पुराना हमीदा पुल के नाम से जाना जाता है) 10.06.2008 को यानि कि लगभग 1 वर्ष 8 मास पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ था। पूर्वोक्त पुल के पुनर्निमाण/आधुनिकीकरण करने की प्रस्तावना है।

Indiscriminate use of Fertilizers

***554. Shri Krishan Pal Gujjar :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the farmers are using fertilizer indiscriminately ; if so, the steps being taken by the Government for its monitoring ; and

(b) the adverse affects of such indiscriminate use of fertilizers ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अभी तक उर्वरकों का कोई कु–प्रभाव नहीं पाया गया है।

Spreding of Cancer

***339. Shri Ram Pal Majra :** Will the Health Minister be pleased to state whether the number of Cancer cases are growing rapidly in the State ; if so, the details of areas where the said disease is being detected together with the steps taken by the Government to check the rapid increase in the number of cancer cases ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान् जी, इससे सम्बन्धित प्रामाणिक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को इस बीमारी से बचाव तथा आरम्भिक जांच–पड़ताल बारे शिक्षित किया जा रहा है।

Extension of Lal Dora

***375. Smt. Kavita Jain :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Lal Dora of the villages ; and

(b) if so, the time by which the notification is likely to be issued in this regard together with the criteria for extending the Lal Dora ?

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Construction of Bridge on the Ghaggar River

***397. Shri Krishan Kamboj :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the villages have to face difficulties in commuting on the road from Rania to Kutabarh due to lack of bridge on the Ghaggar River ;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the Ghaggar River ; and

(c) if, the reply to part (b) above be in affirmative whether the above said work is likely to be completed during the current year 2010-11 or in the next financial year 2011-12 ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी क्योंकि रानियां से गांव कुताबढ़ तक सड़क वाया ओटू पहले से मौजूद है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Appointment in Chaudhary Devi Lal University

***497. Shri Ajay Singh Chautala :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the number of appointment made on the various teaching posts

(permanent, temporary, guest and self financing) in Chaudhary Devi Lal University since 1st April, 2005 till to date ; and

(b) whether it is a fact that the appointment of teachers who have not passed NET Exam. have been made by ignoring those candidates who have passed the NET Examination according to the Criteria/norms fixed by the UGC ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) विश्वविद्यालय द्वारा एक अप्रैल, 2005 के पश्चात् स्व वित्तप्रबन्ध योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों पर अनुबन्ध आधार पर कोई अस्थाई नियुक्ति या नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। स्वीकृत पदों पर एक अप्रैल 2005 के पश्चात् नियमित नियुक्तियां तथा अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं एक अप्रैल 2005 के पश्चात् कुल 58 प्राध्यापक नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं। एक अप्रैल, 2005 से अब तक कुल 249 अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की गई है (यह भी व्यक्त किया जाता है कि अतिथि प्राध्यापक सत्र आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। सत्र की समाप्ति पश्चात् उन्हें कार्यभार मुक्त कर दिया जाता है और अगले सत्र के लिए नये सिरे से साक्षात्कार किये जाते हैं। कुछ अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति न्यायालय के आदेशों के अधीन अगले सत्र के लिये जारी रखी गई है)।

(ख) नियमित आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति, नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानक/मानदण्डों के अनुसार की गई है। यद्यपि, अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति के मामले में कुछ प्राध्यापक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक की नियुक्ति के लिये निर्धारित मानक/मानदण्ड को पूर्ण नहीं करते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक/मानदण्डों को पूर्ण करने वाले अतिथि प्राध्यापकों से कम दर पर भुगतान किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी नेट परीक्षा पास नहीं थे उन्हें साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया था, हालांकि नेट प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध थे।

विभिन्न विभागों में की गई, बिना नेट परीक्षा पास उम्मीदवारों की, नियुक्ति का औचित्य निम्न प्रकार है :–

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

(क) प्रथा अनुसार बिना नेट परीक्षा पास नियुक्त किये टीचिंग एसोसिएट को नेट परीक्षा पास उम्मीदवारों से कम भुगतान किया जाता है।

(ख) बिना नेट परीक्षा पास किये उम्मीदवारों का चयन बतौर टीचिंग एसोसिएट किया जाता है यदि नेट परीक्षा पास किये उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

(ग) बिना नेट परीक्षा पास किये उम्मीदवारों का चयन उसी अवस्था में किया जाता है यदि चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन नेट परीक्षा पास किये उम्मीदवारों से अच्छा पाया जाता है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Road Accidents

83. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the District wise and year wise number of road accident in the State from the year 2005 till date year-wise ; and

(b) the total number of persons who have died in the accidents as referred as Part (a) above ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

बिन्दु – क

सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या

घटना वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	9520	10925	11597	11231	11294	10934	1281

बिन्दु – ख

दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों की कुल संख्या

घटना वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	3419	4096	4435	4522	4553	4724	534

सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
पंचकूला	291	308	300	321	265	269	21
अम्बाला	589	637	622	594	566	545	49
यमुनानगर	385	445	452	455	447	385	66
कुरुक्षेत्र	533	545	606	562	582	594	58
कैथल	237	262	294	299	357	308	35
हिसार	510	569	539	567	580	572	68
सिरसा	235	262	282	290	320	292	43
भिवानी	463	537	610	563	611	577	58
जीन्द	292	322	349	359	418	425	42
फतेहाबाद	198	222	223	226	245	226	24
गुड़गांव	873	1060	1291	1291	1191	1141	128
फरीदाबाद	1050	903	887	791	739	682	90
रिवाड़ी	565	689	707	702	673	676	91
पलवल	—	479	504	547	581	498	74
नारनौल	398	537	548	448	547	475	59
मेवात	363	385	397	307	374	393	47
रोहतक	402	438	506	466	455	493	54
सोनीपत	603	748	713	789	774	743	83
करनाल	643	679	723	651	609	601	77
पानीपत	394	454	488	502	502	503	48
झज्जर	293	326	437	417	399	455	53
रेलवे	203	118	119	84	59	81	13
कुल	9520	10925	11597	11231	11294	10934	1281

मृतक व्यक्तियों की कुल संख्या

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
पंचकूला	100	111	112	157	111	133	8
अम्बाला	213	233	267	227	270	244	24
यमुनानगर	129	173	189	170	196	153	27

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
कुरुक्षेत्र	201	215	210	231	244	255	28
कैथल	87	111	98	120	140	119	14
हिसार	165	208	189	201	234	258	31
सिरसा	103	118	105	165	154	130	24
भिवानी	174	202	236	210	234	222	17
जीन्द	105	147	145	171	189	227	18
फतेहाबाद	78	67	99	101	96	117	11
गुड़गांव	311	387	462	490	318	441	50
फरीदाबाद	311	298	295	290	277	235	39
रिवाड़ी	181	191	236	232	275	267	36
पलवल	—	171	199	243	240	247	34
नारनौल	99	135	143	156	164	144	14
मेवात	108	89	125	86	105	136	20
रोहतक	198	254	268	217	215	217	27
सोनीपत	237	259	298	319	323	351	25
करनाल	246	288	293	292	250	284	27
पानीपत	198	246	233	215	279	283	28
झज्जर	159	182	217	207	212	244	30
रेलवे	16	11	16	22	27	17	2
कुल	3419	4096	4435	4522	4553	4724	534

The Employment Opportunities in Haryana

74. Smt. Savitri Jindal : Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state —

(a) the employment opportunities created in Haryana during the last three years ; and

(b) the postwise and category wise number of persons employed by the Haryana Staff Selection Commission during the last three years together with the number of selected candidates along with their names and address ?

पं. शिव चरण लाल शर्मा, राज्य श्रम व रोजगार मंत्री :

(क) हरियाणा में पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में 2,83,227 पद, 3,14,32,656 मैनडेज (कार्य दिवस) तथा 1,28,750 स्वयं रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों व कारपोरेशनों के लिए कुल 32,721 उम्मीदवारों 31,211 ग्रुप 'सी' व 1510 ग्रुप 'बी') का चयन किया गया है। इनका पद व श्रेणी अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

Group "C" Posts

Gen	SC	BCA	BCB	ESM	PH	Total
14985	6008	4772	3257	1779	410	31211

Group "B" Posts

Gen	SC	BC	ESM	PH	Total
940	295	143	70	62	1510

पिछले तीन वर्षों में निजी क्षेत्र में सृजित रोजगार के अवसरों व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की पदवार, श्रेणीवार व नाम तथा पतों सहित सूचना तैयार करने में जो प्रयास व संसाधन लगेगा उसका लाभ उसके अनुरूप नहीं होगा।

Industries Registered in the State

84. Shri Anil Vij : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state —

(a) the total number of industries registered in the State since 31st March, 2005 till date year wise togetherwith the number of industries out of them which are in running condition ; and

(b) the total number of industries closed since 31st March, 2005 till date year-wise togetherwith the reasons thereof ?

Interim Reply

Subject : Deferement for furnishing the reply to un-starred Question No. 84 from Hon'ble Member, Shri Anil Vij, M.L.A.-regarding.

Hon'ble Speaker Sir,

I may invite your kind attention to the un-starred Question No. 84 from the Hon'ble Member, Shri Anil Vij, M.L.A. which is reproduced as under :—

[Sh. Anil Vij]

"Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state —

(a) The total number of industries registered in the State since 31st March, 2005 till date year wise together with the number of industries out of them which are in running conditions ; and

(b) The total number of industries closed since 31st March, 2005 till date year wise together with the reasons thereof ?"

2. I would like to submit that the definition of Industries in different categories i.e. Small Scale Industries (SSI), Medium and Large has undergone charges multiple times since 1997. Another major landmark is the enactment of "Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006" whereby the nomenclature of 'Small Scale Industries'. Further, the investment levels now used to determine a particular category have also changed wherein it is only the investment in Plant & Machinery (excluding that on I and buildings) that becomes the determining factor of the category of an industry to which it belongs. The investment limits have also now been separately defined for the 'Manufacturing Sector Units' and the 'Services Sector Units' under the MSME (Development) Act, 2006.

3. The data readily available with the Industries Department is only historical and it has not been possible to build-in the subsequent variables as mentioned above. Moreover, the information sought by the Hon'ble Member pertains to a period of six years and is voluminous in nature.

4. The Department of Industries has decided to initiate a 'de-novo' exercise to collect the correct data after providing for the variables introduced over a period of last 13 years. The collection and compilation of this data using the e-Governance application would be a year-long exercise.

5. Keeping the above in view, I would request you to kindly grant us the requisite time for submission of reply to the Hon'ble Member and the reply to the said question may kindly be deferred accordingly.

Yours faithfully,
Sig/-
(Randeep Singh Surjewala)

Hon'ble Speaker
Haryana Vidhan Sabha

Persons Died in Police Custody

85. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state the details of persons with date, name and location, if any, who have died in police custody or have been killed in police firing in the State from April 2005 till date ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, विवरण संलग्न है।

विवरणी

पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों का विवरण

अप्रैल 2005 से 2011, (15.02.2011 तक)

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
वर्ष 2005			
रेवाड़ी	छज्जू राम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट वासी मानकवास, जिला भिवानी।	सिविल अस्पताल रेवाड़ी	14.07.2005
वर्ष 2006			
कुरुक्षेत्र	गुरमेल सिंह पुत्र सिंगारा सिंह, जाति जट सिख वासी मेघामाजरा, थाना झांसा, जिला कुरुक्षेत्र।	थाना पेहवा	13.05.2006
वर्ष 2007			
पंचकूला	जोगी राम पुत्र फूला राम, जाति ढेहा, वासी ढेहा बस्ती कुरुक्षेत्र।	सी.आई.ए. स्टाफ पंचकूला	17.12.2007
कैथल	1. सतनाम सिंह उर्फ लडा पुत्र जीत सिंह जाति बाल्मिकी वासी रावनहेड़ा, जिला कैथल।	पी.जी.आई चण्डीगढ़	13.08.2007
	2. विरेन्द्र सिंह पुत्र हवा सिंह वासी मनाना, जिला पानीपत।	पी.जी.आई. चण्डीगढ़	13.08.2007
पलवल	रोहताश पुत्र प्रताप, जाति जाट, वासी बनचारी, पलवल।	होडल	17.4.2007
वर्ष 2008			
हिसार	उदय सिंह पुत्र फतेह सिंह, वासी पनिहार चौक, हिसार।	थाना सदर हिसार	24.06.2008
पानीपत	चरण सिंह पुत्र रामकिशन, जाति जाट वासी शेरा, जिला पानीपत।	मतलौडा	23.03.2008
वर्ष 2009			
हिसार	कृष्ण कुमार पुत्र बदन सिंह, जाति एस.सी. वासी बालक, जिला हिसार	सी.आई.ए. हिसार	30.07.2009

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
वर्ष 2010			
हिसार	संदीप पुत्र महाबीर, वासी राजथल।	थाना नारनौंद	18.08.2010
वर्ष 2011 अब तक 15.02.2011			
हिसार	सुभाष उर्फ बिल्लू पुत्र लिज्जू राम, वासी सैनीपुरा, हांसी।	थाना शहर हांसी	13.02.2011

विवरणी

पुलिस गोलीबारी में मारे गए व्यक्तियों का विवरण (कानून एवं व्यवस्था) दिनांक अप्रैल 2005 से वर्ष 2011, (15.2.2011 तक)

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
वर्ष 2005 शून्य			
वर्ष 2006 शून्य			
वर्ष 2007 शून्य			
वर्ष 2008			
भिवानी	1. विरेन्द्र पुत्र दयाचन्द वासी खरक कलां, जिला भिवानी।	गांव खरक कलां	18.12.2008
	2. सन्दीप पुत्र नरेश कुमार वासी खरक कलां जिला भिवानी।	गांव खरक कलां	18.12.2008
वर्ष 2009 शून्य			
वर्ष 2010			
हिसार	अनिल पुत्र वजीर वासी लाड़वा जिला हिसार।	गांव मैयड़	13.09.2010
वर्ष 2011 शून्य			

विवरणी

पुलिस गोलीबारी में मारे गए व्यक्तियों का विवरण (पुलिस मुठभेड़)

अप्रैल 2005 से 2011, (15.2.2011 तक)

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
वर्ष 2005			
झज्जर	युद्धवीर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह वासी फरमाणा जिला सोनीपत।	गांव सिंधिपुर	12.05.2005
रोहतक	1. अशोक कुमार पुत्र धर्मपाल मलिक, वासी संजय कालोनी, नरेला, दिल्ली।	गांव फरमाणा	26.05.2005
	2. अनुप कुमार पुत्र जयभगवान, वासी तेजपुर कलां, दिल्ली	गांव फरमाणा	26.05.2005
सोनीपत	1. सुनील पुत्र रामभज, वासी खन्दराई, जिला सोनीपत।	गांव खंदराई	7.06.2005
	2. रविन्द्र पुत्र रमेश वासी नाहरा, जिला सोनीपत।	गांव पांची गुजराण	4.07.2005
हिसार	1. जोगिन्द्र उर्फ कुन्ती पुत्र प्रताप सिंह, वासी दनौन्दा कला, जिला जीन्द	डकलाना	24.06.2005
	2. जोगिन्द्र पुत्र रत्न सिंह, वासी कालीरावण	ढाणी अमर सिंह कालीरावण	21.06.2005
	3. विनोद उर्फ सोनू पुत्र रामकुमार, वासी कालीरावण।	ढाणी अमर सिंह कालीरावण	21.06.2005
	4. रोहताश पुत्र लालचन्द, वासी थर–मोहल्ला, सिरसा।	ढाणी अमर सिंह कालीरावण	21.06.2005
रेवाड़ी	उमेश पुत्र होशियार सिंह वासी जाहिद पुर जिला रेवाड़ी।	बेरली कला	14.07.2005
पानीपत	संदीप पुत्र महेन्द्र वासी कामी, जिला सोनीपत	गांव आटा	18.11.2005
भिवानी	1. लीला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र धर्मपाल वासी सिसाय, थाना सदर हांसी	नजदीक नया बस अड्डा भिवानी	11.08.2005
	2. सिपाही पुनित कुमार पुत्र रामकिशन, वासी डी.सी. कालौनी, भिवानी।	नजदीक नया बस अड्डा भिवानी	11.08.2005
	3. वन्दना पुत्री रमेश सिंह, वासी विकाश नगर, भिवानी।	नजदीक नया बस अड्डा भिवानी	11.08.2005

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
गुड़गांव	1. शरद पुत्र औमप्रकाश, वासी देवस्था, नारनौल।	सामान्य अस्पताल गुड़गांव	8.08.2005
	2. कृष्ण पुत्र औमप्रकाश, वासी देवस्था, नारनौल।	सामान्य अस्पताल गुड़गांव	8.08.2005
वर्ष 2006			
झज्जर	1. संजय पुत्र दलीप सिंह वासी हैरीवाली, दिल्ली।	सैक्टर 6 बहादुरगढ़	25.5.2006
	2. विकास पुत्र जयपाल वासी दुल्हेड़ा	गांव दुल्हेड़ा	30.11.2006
जीन्द	राजेश पुत्र बारू राम वासी बदनपुर	गांव सिवाहा	2.07.2006
रोहतक	सन्दीप पुत्र सुरेन्द्र वासी मोरखेड़ी	गांव कारोर मोड़ रोहतक	11.07.2006
सोनीपत	1. सतेन्द्र उर्फ काला पुत्र ईश्वर वासी खुरड़ जिला सोनीपत।	गांव निखोली	3.09.2006
	2. अजय उर्फ सोनू उर्फ सीनू पुत्र रामफल वासी खुरड़ जिला सोनीपत।	गांव निखोली	3.09.2006
गुड़गांव	1. जयप्रकाश उर्फ जे.पी. पुत्र भुप सिंह वासी मकान नं. 161 सरस्वती इन्कलेव सुरखपुर रोड़ नजफगढ़ दिल्ली।	सैक्टर 56 गुड़गांव	7.03.2006
	2. हेमन्त उर्फ सोनु पुत्र रामनारायण वासी मकान नं. 1003 गोपाल नगर नजफगढ़ दिल्ली।	सैक्टर 56 गुड़गांव	7.03.2006
	3. जसविन्द्र उर्फ सोनू पुत्र जगदीश प्रसाद वासी आर.जेड. 421 गोपाल नगर नजफगढ़ दिल्ली।	सैक्टर 56 गुड़गांव	7.03.2006
	4. अनील कुमार पुत्र आनन्दपाल वासी लखपत कालोनी–2 मकान नं. 145 गली नं. 2 मीरपुर नई दिल्ली।	अकीलमपुर	5.05.2006
	5. रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र महेश शर्मा वासी मजांवली, जिला फरीदाबाद।	न्यायालय गुड़गांव	5.05.2006

जिला	व्यक्तियों के नाम	जगह का नाम	मृत्यु की तिथि
वर्ष 2007			
जीन्द	1. सुनील उर्फ सन्जु पुत्र रामगोपाल वासी बुसलाना।	गांव शाहपुर नगुरा	5.04.2007
	2. विनोद उर्फ गुड्डु पुत्र महावीर वासी सिसाय।	गांव तारखा	28.06.2007
रोहतक	राकेश उर्फ बोकड़ा पुत्र ओमप्रकाश वासी रिवाड़ा जिला सोनीपत।	गांव चिड़ी	19.12.2007
हिसार	1. गुरदेव उर्फ नानु उर्फ मोलड़ पुत्र कश्मीर सिंह वासी बहादुर सिंह कालोनी हांसी।	गांव नारनौद	28/29.10.07
	2. कर्मबीर पुत्र रणबीर वासी बास बादशाहपुर।	गांव नारनौद	28/29.10.07
पलवल	जमसेद पुत्र सुबी वासी सिंगार जिला मेवात	गांव नांगल जाट	24.01.07
भिवानी	1. मुकेश पुत्र नफे सिंह वासी लोहरवाड़ा जिला भिवानी।	गांव टोडी निहालगढ़	21.07.2007
	2. सन्दीप उर्फ कालिया पुत्र कप्तान वासी लोहरवाड़ा जिला भिवानी।	गांव टोड़ी निहालगढ़	21.07.2007
वर्ष 2008			
झज्जर	जसबीर उर्फ जासद पुत्र बलबीर वासी ढाकला।	गांव ढाकला	13.10.2008
गुड़गांव	राजीव उर्फ पोचू पुत्र कनरपाल वासी मकान नं. 154/18 दादरी जिला, गौतमबुद्ध उत्तर प्रदेश।	गांव दोलताबाद	18.12.2008
वर्ष 2009			
झज्जर	1. अजीत पुत्र विधानन्द वासी सफीपुर	गांव दुबलधन बेरी	26.02.2009
	2. उमेन्द्र उर्फ काला पुत्र धर्मबीर गांव बेरी।	गांव गोयला कला	13.08.2009
गुड़गांव	1. बाबुदीन पुत्र साहुदीन वासी नंगला साहिदा थाना सरसागंज जिला फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश।	सामान्य अस्पताल गुड़गांव	25.09.2009
	2. विवेक यादव पुत्र मोतीलाल वासी कर्मगुंज मोहल्ला थाना ईटावा जिला ईटावा उत्तर प्रदेश।	सामान्य अस्पताल गुड़गांव	25.09.2009

वर्ष 2010 शून्य

वर्ष 2011 से अब तक 15.2.2011 शून्य

Grant given to MCs.

86. Shri Anil Vij : Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state the amount of grant given to each Municipal Corporation, Municipal Council and Municipal Committee in the State during the year 2010-11.

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध 'ए' अनुसार सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

अनुबन्ध – 'ए'

वर्ष 2010–11 के दौरान पालिकाओं को दिये गये अनुदान

क्र.सं.	पालिका का नाम	वितरित की गई राशि
1.	अम्बाला	1915.94
2.	नारायणगढ़	29.09
3.	कैथल	206.60
4.	पूण्डरी	83.44
5.	चीका	58.52
6.	कलायत	27.12
7.	यमुनानगर	770.61
8.	थानेसर	638.89
9.	शाहबाद	199.71
10.	लाडवा	119.47
11.	पेहवा	54.60
12.	करनाल	583.87
13.	तरावड़ी	36.07
14.	नीलोखेड़ी	26.65
15.	घरौंडा	46.30
16.	असन्ध	37.27
17.	इन्द्री	27.60
18.	निसिंग	28.24
19.	पानीपत	523.20
20.	समालखा	48.85
21.	रोहतक	1588.30
22.	महम	33.00

क्र.सं.	पालिका का नाम	वितरित की गई राशि
23.	कलानौर	29.24
24.	सांपला	135.41
25.	पंचकूला	385.50
26.	कालका	14.11
27.	पिंजौर	13.60
28.	सोनीपत	395.98
29.	गोहाना	224.98
30.	गन्नौर	103.72
31.	खरखौदा	34.42
32.	झज्जर	73.24
33.	बहादुरगढ़	512.55
34.	बेरी	26.30
35.	फरीदाबाद	2760.73
36.	पलवल	146.87
37.	होडल	65.98
38.	हथीन	23.02
39.	गुड़गांव	522.62
40.	सोहना	49.23
41.	हेलीमण्डी	29.09
42.	पटौदी	30.95
43.	फारूखनगर	17.41
44.	रेवाड़ी	182.91
45.	बावल	20.73
46.	धारूहेड़ा	41.08
47.	फिरोजपुर झिरका	29.87
48.	नूह	19.41
49.	तावडू	27.76
50.	पुन्हाना	35.58
51.	नारनौल	103.14
52.	महेन्द्रगढ़	60.06
53.	कनीना	18.27
54.	अटेली मण्डी	12.17
55.	भिवानी	1210.79
56.	चरखी दादरी	566.96

[श्री गोपाल काण्डा]

क्र.सं.	पालिका का नाम	वितरित की गई राशि
57.	सिवानी	26.85
58.	बवानी खेड़ा	30.03
59.	लोहारू	23.71
60.	हिसार	571.24
61.	हांसी	130.62
62.	बरवाला	62.39
63.	नारनौंद	70.51
64.	फतेहाबाद	106.86
65.	टोहाना	248.90
66.	रतिया	47.85
67.	सिरसा	287.47
68.	मण्डी डबवाली	94.05
69.	रानियां	35.15
70.	कालांवाली	36.14
71.	ऐलनाबाद	56.20
72.	जीन्द	248.81
73.	नरवाना	88.10
74.	सफीदों	43.05
75.	उचाना	23.38
76.	जुलाना	28.11
	कुल जोड़	17266.44

स्वतंत्रता सेनानियों के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणियां प्रयोग करने सम्बन्धी मामला उठाना

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, जिन देशभक्तों की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं उनको एक किताब में आतंकी बताया गया है । इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि हमें सदन में सर्वसम्मति से एक निन्दा प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जैसे देशभक्तों को और शहीदों को आतंकी बताया है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, although it is the time of presentation of Budget Estimates and before that no business could

be transacted but since a senior member has brought to my knowledge about a news item published in a newspaper regarding freedom fighters Saheed Bhagat Singh, Raj Guru and Sukhdev. Saheed Bhagat Singh, Raj Guru and Sukhdev were great freedom fighters. Anything which is contained in this article is derogatory and should be deprecated by this House. Hon'ble Chief Minister is present here who also belongs to a freedom fighter's family and has been associated with the family of Sardar Bhagat Singh. I would like to request the Hon'ble Chief Minister to make a statement against the derogatory remarks to the Honour in prestige of the great freedom fighters published in the newspaper.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Anybody who published this type of derogatory statement in the newspaper against the freedom fighters Saheed Bhagat Singh, Raj Guru and Sukhdev, the House condemns it and it cannot be accepted at all.

Mr. Speaker: A Statement has come from the Leader of the House. Haryana Vidhan Sabha unanimously condemns such a news item. Anybody who has published it, anybody who has written it, should withdraw it and tender an apology with regard to this otherwise the law will take its own course.

वर्ष 2011-2012 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon'ble Finance Minister will present the Budget Estimates 2011-12.

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ । लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान गत वर्षों की बहुत ही कठिन परिस्थितियों की ओर दिलाना चाहता हूँ । आप जानते हैं कि कर्मचारियों को नया वेतनमान देना और विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण हमारे पिछले 2-3 वर्ष बहुत ही कष्टमय थे परन्तु हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी तथा कठिनाईयों का पुरजोर सामना किया । मैं समझता हूँ कि कठिनाईयों की आंधी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो अगर हमारे पास हिम्मत है तो हम उसका सामना कर सकते हैं । किसी शायर ने क्या खूब कहा है :-

शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम,
आंधी से कोई कह दे, अपनी औकात में रहे ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के वित्त मंत्री के रूप में यह मेरा दूसरा बजट है ।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. राज्य के वित्त मंत्री के रूप में यह मेरा दूसरा बजट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यू पी ए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के उत्प्रेरक मार्गदर्शन तथा प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्त्व के अन्तर्गत तथा मुख्यमंत्री व मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों और इस गरिमामय सदन के सदस्यों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा।

3. मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि सरकार द्वारा किये गये सतत् व समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य की अर्थ–व्यवस्था ने वर्ष 2008–09 और 2009–10 के दौरान वित्तीय दबाव का अनुभव करने के बाद अब उभरने के संकेत देने शुरू कर दिये हैं। फौरी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009–10 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सही अर्थों में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अग्रिम अनुमानों से प्रकट होता है कि वर्ष 2010–2011 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की दर से और प्रति व्यक्ति आय में 7.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की सम्भावना है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास गति अवरूद्ध होने का खतरा समाप्त हो गया है। विकास की यह ऊंची दर सरकार द्वारा गत छः वर्ष के दौरान लागू की गई दूरदर्शी नीतियों और प्रगतिशील पहलकदमियों के कारण सम्भव हो सकी है। ढांचागत आमूल परिवर्तन के बाद राज्य की अर्थ–व्यवस्था परिपक्व हो गई है, जिसमें वर्ष 2010–11 के दौरान सेवा क्षेत्र का 53.5 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का 30.8 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र का 14.9 प्रतिशत योगदान है, जबकि वर्ष 1966–67 में प्राथमिक क्षेत्र का 56.6 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र का 20.5 प्रतिशत और तृतीय क्षेत्र का 22.9 प्रतिशत योगदान था।

4. हालांकि, वर्ष के शुरू में कुल मिलाकर मुद्रास्फीति नियन्त्रण में रही, फिर भी कुछ अनाजों, चीनी और दालों की कीमतें ऊंची रही। तथापि, वर्ष की दूसरी छिमाही में कीमतों में सामान्य से तीव्र गिरावट देखी गई, परन्तु इस अवधि के दौरान प्याज, दूध, कुक्कुट उत्पादन तथा कुछ सब्जियों के दामों में उछाल आया। केन्द्र सरकार ने मौद्रिक, राजकोषीय तथा व्यापार नीति से सम्बन्धित उपाय किये और राज्य सरकार ने गरीबों की खरीद शक्ति बनाये रखने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की और दोनों ही देश में सर्वाधिक हैं। हालांकि, मौद्रिक नीति का सम्प्रेषण चक्र लम्बा है, फिर भी उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपाय आगामी महीनों में मुद्रास्फीति को सामान्य करने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त, अच्छी मानसून के

फलस्वरूप, रबी की फसलें भरपूर होने की सम्भावना है, जिससे कीमतों में कमी आयेगी।

5. राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। राज्य सरकार कर–प्रशासन में सुधार लाने, विकास खर्च को अधिकतम करने तथा सार्वजनिक ऋण को सीमाओं में रखने के लिये वचनबद्ध है। बेहतर प्रवर्तन, कर संग्रह कुशलता, सतत् समीक्षा तथा परिवीक्षण के फलस्वरूप, वर्ष 2009–10 में, कर–राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 6.11 था, जिसकी वर्ष 2010–11 में बढ़कर 6.73 होने की सम्भावना है।

6. अर्थ–व्यवस्था की ताकत और परिपक्वता के आधार पर हमें भलीभांति ज्ञात है कि जनता जनार्दन ही राज्य की वास्तविक सम्पदा है। जन साधारण, किसानों, श्रमिकों, दस्तकारों, गरीबों, वंचित तथा दबे–कुचले वर्गों के लोगों का कल्याण हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु है। हमारे अन्दर एक ऐसे समृद्ध, खुशहाल तथा परिचारक राज्य, जहां सभी नागरिकों को समान रूप से आर्थिक विकास के लाभ मिले और वे सशक्त महसूस करें, के स्वप्न को साकार करने की इच्छाशक्ति, साहस और प्रतिबद्धता है क्योंकि हम अपने पूर्वजों के विवेक व सूझबूझ से प्रेरित हैं, जो तीन सहस्त्राब्दी पूर्व कटु उपनिषद् के शांतिमंत्र की महिमा की चर्चा किया करते थे।

" ऊं साहाना वावातु साहानौ भुनक्तु साहविर्याम् कारावावाहे तेजस्वि
मावधीत मस्तु मा मिद विश्वाहै ऊं शांति, शांति, शांति "

इसका अभिप्रायः है :

"हम एकजुट होकर संरक्षित और पोषित हो सकते हैं, हम एकजुट होकर अधिक ताकत से कार्य कर सकते हैं। हमारी यात्रा शानदार और प्रभावी हो! हमारे बीच कोई दुर्भावना न हो! शांति, शांति, शांति"

7. इसलिये, समावेशिल तथा समग्र विकास हमारा अपूर्ण एजेंडा है, जो न केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में, बल्कि भावी योजनाओं में भी जारी रहेगा। वर्ष 2011–12 के दौरान, हम नई नीतियों व पहलकदमियों, जिनकी रूपरेखा मैं अब इस गरिमामय सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा, के माध्यम से राज्य के लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं।

बिजली

8. बिजली राज्य की समृद्धि, प्रगति और विकास की बुनियाद के रूप में उभरी है। लोगों की बढ़ती आकांक्षायें पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की बिजली की आवश्यकता की परिचायक हैं। इसलिये, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

बिजली उपलब्ध करवाना है। बिजली क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारी नीति पिछली कमी को पूरा करने, वर्तमान के लिये व्यवस्था करने और तात्कालिक भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिये कार्य करने की रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमने सम्प्रेषण और वितरण में समानुपातिक निवेश के साथ बिजली उत्पादन क्षमता में 5000 मैगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करने के लिये ठोस पहल की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस समय राज्य के उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 903 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है, जबकि वर्ष 2004–05 में प्रतिदिन औसतन 578 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जाती थी।

9. मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि वर्ष 1999 से 2005 तक की अवधि के दौरान, राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में 724.4 मैगावाट की वृद्धि हुई, जबकि हमारी सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1643 मैगावाट की वृद्धि हुई है।

10. हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली उत्पादन की सभी परियोजनायें अच्छी प्रगति कर रही हैं। राजीव गांधी ताप बिजली परियोजना खेदड़, हिसार की 1200 मैगावाट की दो यूनिटें क्रमशः 38 मास और 44 मास की रिकार्ड अवधि में अप्रैल, 2010 तथा अक्तूबर, 2010 में चालू की गई। इस संयंत्र की बिजली से राज्य के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है।

11. झज्जर में 1500 मैगावाट की इन्दिरा गांधी सुपर ताप बिजली परियोजना, हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की 500 मैगावाट की पहली यूनिट हरियाणा दिवस अर्थात पहली नवम्बर, 2010 को चालू की गई। इसकी दूसरी और तीसरी इकाइयां क्रमशः जुलाई, 2011 तथा जनवरी, 2012 तक तैयार होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी सुपर ताप बिजली परियोजना, झज्जर की 660–660 मैगावाट की दो यूनिटें क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में हैं और इनकी क्रमशः दिसम्बर, 2011 तथा मई, 2012 में चालू होने की सम्भावना है। भारतीय परमाणु बिजली निगम द्वारा जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में परमाणु ताप बिजली संयंत्र के प्रथम चरण में 700–700 मैगावाट की दो इकाइयां स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पूर्व गतिविधियां शुरू हो गई हैं और इनकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

12. महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य ने राजीव गांधी ताप बिजली परियोजना हिसार से बिजली सम्प्रेषण के लिये ज़िला हिसार के गांव किरोड़ी में 400 के वी क्षमता के सब–स्टेशन का निर्माण करके इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पहले ही प्राप्त कर ली है। ज़िला गुड़गांव के दौलताबाद में 400

के वी क्षमता के राज्य के दूसरे सब–स्टेशन की मार्च, 2011 तक चालू होने की सम्भावना है।

13. महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमने ज़िला रोहतक के गांव कबूलपुर और ज़िला सोनीपत के गांव दिपालपुर में 400 केवी के दो सब–स्टेशनों से बिजली सम्प्रेषण का कार्य सार्वजनिक–निजी सहभागिता पद्धति के अन्तर्गत आबंटित कर दिया है। राज्य की यह अपने प्रकार की पहली परियोजना है और भारत के योजना आयोग ने इसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। यह परियोजना भारत सरकार से व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (Viability Gap Funding) के रूप में 76 करोड़ रुपये के अनुदान के लिये पात्र हैं।

14. वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में राज्य के सम्प्रेषण नैटवर्क के अपग्रेडेशन पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। गत दो वर्ष के दौरान 1650 एम वी ए क्षमता की अतिरिक्त वृद्धि की गई है और 6000 एम वी ए क्षमता के लिये सम्प्रेषण कार्य प्रगति पर है।

15. महोदय, हमारा प्रयास किसानों, जो राज्य की रीढ़ हैं, को उच्चकोटि की बिजली उपलब्ध करवाने का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ग्रामीण घरेलू तथा कृषि लोड को अलग करने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों में सुधार हुआ है। 'सबके लिये बिजली' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2.36 लाख परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली के कनैक्शन दिये जाने हैं। इनमें से दिसम्बर, 2010 तक 1.77 लाख परिवारों को बिजली के कनैक्शन दिये जा चुके थे। वितरण नैटवर्क में प्रौद्योगिकीय सुधार लाने के लिये फीडरों के विभाजन, कंडक्टरों को बदलने, सब–स्टेशनों के निर्माण व उनकी क्षमता में वृद्धि करने तथा उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली जैसी अनेक अन्य योजनायें शुरू की गई हैं। इन उपायों के फलस्वरूप राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार हो रहा है। सरकार इस क्षेत्र की मजबूती के लिये सम्प्रेषण के दौरान होने वाली बिजली हानि को कम करने पर भी बल दे रही है।

16. यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहल की हैं, जिनके परिणामस्वरूप अब तक अक्षय ऊर्जा की 128 मैगावाट क्षमता की परियोजनायें स्थापित हुई हैं। राज्य में किये गये विभिन्न उपायों से वर्ष 2009–10 के दौरान लगभग 165 मैगावाट बिजली की बचत हुई और मुझे इस गरिमामय सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है।

17. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 4962.06 करोड़ रुपये की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

राशि आबंटित कर रहा हूँ जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन की तुलना में 713.44 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 1636.80 करोड़ रुपये योजनागत तथा 3325.26 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

18. 31 मार्च, 1992 तक हरियाणा के सभी गांवों को पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करवा दिया गया था। इसके बाद गांव में पेयजल आपूर्ति की आधारभूत संरचना में वृद्धि करने व इसे सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया। दिसम्बर, 2004 में किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल 6759 गांवों में से 1971 गांव पेयजल की कमी वाले वर्ग में चले गये हैं, जहां पेयजल आपूर्ति विभिन्न कारणों से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मापदण्ड से नीचे चली गई है। राज्य और केन्द्र सरकार पेयजल की कमी वाले इन गांवों की पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दे रही हैं और 31 मार्च, 2010 तक 1822 गांवों की पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जा चुका था तथा पहली अप्रैल, 2010 को पेयजल की कमी वाले केवल 149 गांव रह गये थे। भारत सरकार अब जनसंख्या के सम्बन्ध में बस्तियों की कवरेज पर ध्यान दे रही है। राज्य में 7385 बस्तियों में से 1920 बस्तियां ऐसी हैं, जहां जनसंख्या की दृष्टि से कवरेज 100 प्रतिशत से कम है। इनमें से 1007 बस्तियों को चालू वित्त वर्ष के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से शत–प्रतिशत कवर करने का प्रस्ताव है और शेष 913 बस्तियों को वर्ष 2011–12 के दौरान कवर करने का प्रस्ताव है।

19. नवम्बर, 2006 में, इन्दिरा गांधी पेयजल योजना नामक एक अनूठी स्कीम शुरू की गई, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लगभग 10 लाख घरों में निजी पेयजल कनैक्शन मुफ्त देने का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के परिवारों को मासिक शुल्क के भुगतान में भी 50 प्रतिशत रियायत दी गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वर्ग के परिवारों को पेयजल के निजी कनैक्शन लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु बस्तियों में 500 रुपये की कनैक्शन फीस तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की कनैक्शन फीस माफ की गई है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2010 तक 8.72 लाख अनुसूचित जातियों के घरों में निजी पेयजल कनैक्शन दिये जा चुके थे। वर्ष 2010–11 के दौरान, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शेष बचे 1.28 लाख अनुसूचित जातियों के परिवारों को पेयजल कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिये इस कार्यक्रम के तहत 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

20. चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 1007 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का लक्ष्य है, जबकि वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 913 अन्य गांवों की पेयजल

आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

21. इसके अतिरिक्त, पेयजल आपूर्ति की समस्या से ग्रस्त ज़िला झज्जर के 15 गांवों में और ज़िला कैथल में दो स्थानों पर आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। इन संयंत्रों की स्थापना के बाद एजेंसी 10 वर्ष की अवधि तक इनका संचालन तथा रख–रखाव करेगी।

शहरी पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज

22. सभी 78 बड़े तथा छोटे शहरों, जहां नगर परिषदों/निगमों तथा हुडा द्वारा रख–रखाव किया जा रहा है, में नल जल सप्लाई प्रणाली उपलब्ध करवा दी गई है।

23. चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, राज्य के शहरों की पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने के लिये 94 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। हाल ही में अनुमोदित की गई कालोनियों में पेयजल आपूर्ति की सुविधायें उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू करने का लक्ष्य है। आगामी वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, शहरों तथा अनुमोदित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं में सुधार लाने के लिये (टी एफ सी समेत) 116 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

24. जहां तक सीवरेज प्रणाली का सम्बन्ध है, राज्य के 74 कस्बों में सीवरेज सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, सीवरेज सुविधाओं के विस्तार के लिये परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करते हुए इसे 131.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस राशि से विभिन्न कस्बों के ऐसे क्षेत्रों में कार्य शुरू किया जा रहा है, जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, चुने हुए कस्बों में मल–जल परिशोधन संयंत्रों का भी निर्माण किया जा रहा है।

25. आगामी वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, शहरों तथा अनुमोदित कालोनियों में मल–जल परिशोधन संयंत्रों के निर्माण के अतिरिक्त, सीवरेज सुविधाओं के सुधार पर 120 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

26. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज आधारभूत संरचना में सुधार के लिये राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत कार्यों के क्रियान्वयन के लिये ऋण सहित 110 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

27. चालू योजनाओं के शेष दायित्व की पूर्ति के लिये तथा नई परियोजनाओं का कार्य शुरू करने के लिये वर्ष 2011–12 के दौरान, 195 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

28. रोहतक तथा दादरी शहरों में नहरी फिल्टरेशन पर आधारित दो जलघर

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

चालू किये गये हैं, जो वर्ष 2010–11 के दौरान, शहरी क्षेत्रों की प्रमुख उपलब्धियां हैं। कैथल, जींद और रोहतक में 10 एम एल डी के, होडल में 9 एम एल डी तथा नरवाना में 3.75 एम एल डी और 3.50 एम एल डी के दो मल–जल परिशोधन संयंत्र चालू किये गये हैं।

29. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज़ के अन्तर्गत वर्ष 2010 के दौरान राज्य के 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असन्ध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना तथा उचाना में 959.20 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज की शत–प्रतिशत सुविधायें प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया। कुछ शहरों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है, जबकि अम्बाला, कैथल, महेन्द्रगढ़, सिरसा, टोहाना और हांसी में कार्य शुरू हो चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 212 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और यह परियोजना मार्च, 2013 तक पूरी की जानी है।

30. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 1900.31 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन की तुलना में 65.05 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 1031.22 करोड़ रुपये योजनागत तथा 869.09 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

भवन एवं सड़कें

31. महोदय, सड़कें समृद्धि के मार्ग हैं। पिछले मानसून मौसम के दौरान अभूतपूर्व वर्षा होने और बाढ़ आने के कारण सड़क तन्त्र को काफी नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण जो सड़कें बंद हुई, उन्हें रिकार्ड समय में खोला गया। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक विभिन्न योजनाओं के तहत 988 करोड़ रुपये की लागत से 1611 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई। हरियाणा में खनन पर प्रतिबंध के कारण निर्माण सामग्री की कम उपलब्धता के बावजूद, सड़कों पर पैबन्ध लगाकर/गड्ढों की मरम्मत करके उन्हें सेवा के संतोषजनक स्तर पर बनाये रखा गया।

32. सरकार ने सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता आकर्षित करने के लिये कदम उठाये हैं, जो आधारभूत संरचना विकास की गति को तेज करने के लिये आवश्यक है। योजना आयोग द्वारा 151 किलोमीटर लम्बी खड़क–भिवानी–दादरी–महेन्द्रगढ़–नारनौल–नांगल चौधरी–कोटपुतली सड़क परियोजना को निर्माण–संचालन तथा हस्तांतरण आधार पर 1366.95 करोड़ रुपये की लागत से चारमार्गी बनाने के लिये 20 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (Viability Gap Funding) प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया है। इसके लिये Reguest For

Qualification (RFQ) प्राप्त हो गई है और मई, 2011 के अन्त तक इसका कार्य concessionaire को दे दिया जायेगा।

33. राज्यीय राजमार्ग 6 और 7 के यमुनानगर–लाडवा–करनाल तक 54 किलोमीटर लम्बे भाग को 435 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण–संचालन तथा हस्तांतरण आधार पर चारमार्गी बनाने की परियोजना व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (Viability Gap Funding) प्रदान करने के लिये योजना आयोग को भेजी गई है।

34. वर्ष 1966 से 2005 तक केवल 16 रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया, जबकि मार्च, 2005 से मार्च, 2010 तक 280 करोड़ रुपये की लागत से 16 रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया। मार्च, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान 137.60 करोड़ रुपये की लागत से छः रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, सात अन्य रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य 160.64 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। तीन रेलवे उपरिगामी पुलों (मार्च, 2005 से कुल 25 पुलों) का निर्माण कार्य 77.22 करोड़ रुपये की लागत से मार्च, 2011 तक पूरा होने की सम्भावना है और वर्ष 2011–12 के दौरान 10 रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य 283 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जायेगा।

35. हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों के लगभग 150 नये भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस वित्त वर्ष के शुरू में लगभग 365 भवन निर्माणाधीन थे, जिनमें न्यायिक परिसर, जिला प्रशासनिक खण्ड, अस्पताल, बहुतकनीकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। इनमें से 137 भवन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप 135 करोड़ रुपये की राशि से पूरे किये जा चुके हैं। इन भवनों के निर्माण के लिये भूमि पंचायतों द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, 142 भवनों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष के दौरान 40 अन्य भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा निर्मित निर्माण सदन, जिसमें लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर), हरियाणा तथा वास्तुकला विभाग, हरियाणा के मुख्यालय हैं, को इण्डियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा भारत में संस्थागत वर्ग में सर्वश्रेष्ठ भवन घोषित किया गया है और विभाग को तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार श्री जयपाल रेड्डी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 17 जून, 2010 को ट्राफी तथा पुरस्कार प्रदान किया गया।

36. राज्य सरकार के इंजीनियरों ने इण्डियन रोड कांग्रेस के कोड/विशेष प्रकाशन तैयार करने में योगदान दिया है। ऐसे चार दस्तावेज समस्त भारत में क्रियान्वयन के लिये अनुमोदित कर दिये गये हैं।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

37. हम इस वर्ष भी पुलों की मरम्मत और निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमने 92 करोड़ रुपये की लागत से 228 पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया है और नाबार्ड योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से 12 पुलों का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की सम्भावना है।

38. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 2410.95 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन की तुलना में 256.82 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 1589.59 करोड़ रुपये योजनागत तथा 821.36 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

सिंचाई

39. हरियाणा सरकार सीमित उपलब्ध जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये परियोजनायें क्रियान्वित कर रही है। चूंकि, हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है और राज्य में 36 मिलियन एकड़ फुट पानी की जरूरत के मुकाबले केवल 14 मिलियन एकड़ फुट पानी की उपलब्धता है, इसलिये, नहरों व जलमार्गों में पानी की हानि रोकने की नितांत आवश्यकता है।

40. समय के साथ वर्तमान नहरी तन्त्र जीर्ण हो गया है, जिसे बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है। इसलिये, नहरी तन्त्र की मरम्मत का कार्य चरणबद्ध ढंग से शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान 83.67 करोड़ रुपये की नहरी तन्त्र की मरम्मत करने की परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। सरकार का आगामी वित्त वर्ष के दौरान नहरी तन्त्र की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 104 करोड़ रुपये के कार्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शुरू किये जायेंगे, 53 करोड़ रुपये के कार्य 13वें वित्त आयोग से प्रस्तावित हैं और इस उद्देश्य के लिये 47 करोड़ रुपये की राशि राज्य योजना के अन्तर्गत रखी गई है। नहरी तन्त्र की मरम्मत का कार्य वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, वैस्टर्न यमुना कैनाल मेन लाईन लोवर तथा दादुपुर से करनाल तक वैस्टर्न यमुना कैनाल मेन ब्रांच को 155 करोड़ रुपये की लागत से पक्का करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये डब्ल्यू ए पी सी ओ एस को परामर्श दिया जा चुका है।

41. जलमार्गों की मरम्मत का कार्य भी चरणबद्ध ढंग से शुरू किया गया है। कुल पहचान किये गये 7498 जलमार्गों में से अब तक 1649 जलमार्गों की मरम्मत की जा चुकी है और 341 जलमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। शेष जलमार्गों की मरम्मत चरणबद्ध ढंग से की जायेगी।

42. सिंचाई विभाग द्वारा निकट भविष्य में अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनायें पूरी की जा रही हैं। गुड़गांव तथा अन्य विकासशील औद्योगिक शहरों, जैसे कि – मानेसर,

बादशाहपुर, सांपला तथा बादली की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये एन सी आर वाटर सप्लाई चैनल मार्च, 2011 तक पूरा कर लिया जायेगा। दिल्ली को पेयजल आपूर्ति करने के लिये कैरियर लाईड चैनल इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जायेगा। जिला पंचकूला में घग्घर नदी पर 217 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा कौशल्या डैम वर्ष 2011–12 के दौरान पूरा हो जायेगा और यह बाढ़ों को रोकने के अतिरिक्त पंचकूला को पेयजल आपूर्ति करेगा।

43. सिंचाई विभाग द्वारा भूमिगत जल भण्डार के सम्भरण के लिये कई योजनायें प्रस्तावित की गई है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। मानसून के दौरान, यमुना के फालतू पानी को भूमिगत जल भण्डार के सम्भरण के लिये उपयोग में लाने हेतु 267 करोड़ रुपये की लागत से दादुपुर–शाहबाद–नलवी सिंचाई योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इसका पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण जून, 2011 तक पूरा हो जायेगा। लोहारू नहर की बुर्जी संख्या 41350 एल पर एक निकास जलाशय (escape reservoir) के निर्माण की 1.28 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है ताकि पम्प हाउस नम्बर 2 पर बिजली की सप्लाई उपलब्ध न होने पर लोहारू नहर के फालतू पानी का उपयोग किया जा सके। जलाशय में इस प्रकार से डाले गये पानी का उपयोग सम्भरण के लिये और नहर में दोबारा डालने के लिये किया जायेगा।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

44. ओटू झील की गाद निकासी का प्रथम और द्वितीय चरण पूरा कर लिया गया है तथा अतिरिक्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध करवाने के लिये इस झील को तीसरे चरण में चार फुट और गहरा करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये निर्माण कार्य झील का तल सूखने के बाद शुरू कर दिया जायेगा। मानसून मौसम के दौरान भूमिगत जल भण्डारण के सम्भरण और सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये विभाग का ज़िला कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील की 117 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत व नवीनीकरण करने का प्रस्ताव है। ज़िला मेवात में कोटला झील के रूप में 116 करोड़ रुपये की लागत से एक जलाशय का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

45. मानसून मौसम के दौरान यमुना व घग्घर नदी तथा इनकी सहायक नदियों का पानी राज्य के बड़े भाग में क्षति पहुंचाता है। क्षेत्र को बाढ़ों से बचाने और नुकसान को न्यूनतम करने के लिये सामान्यतः बाढ़ के पानी की निकासी करने के प्रयास किये जाते हैं। इसके साथ ही, राज्य के मीठे पानी के क्षेत्रों में भूमिगत पानी के अत्यधिक प्रयोग से जल स्तर नीचे जा रहा है। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिये सरकार का मीठे पानी के क्षेत्रों में नदियों तथा ड्रेनों के साथ–साथ Recharge Shafts स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमिगत जल भण्डार के ह्रास को न्यूनतम किया जा सके। सरकार राज्य के मीठे पानी के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी लगभग 100 Recharge Shafts स्थापित करने की एक मार्गदर्शी योजना शुरू करने की सोच रही है। इस परियोजना

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
की सफलता के बाद राज्य के मीठे पानी के क्षेत्रों में भूमिगत जल भण्डार के सम्भरण के लिये बड़े पैमाने पर ऐसी Recharge Shafts स्थापित की जायेंगी। इससे बाढ़ की समस्या भी कम होगी, क्योंकि निचले क्षेत्रों में एकत्रित पानी की निकासी Recharge Shafts के द्वारा आसानी से की जा सकती है।

46. हरियाणा यमुना नदी पर अपस्ट्रीम स्टोरेज डैम, नामतः रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण की पैरवी कर रहा है। जब तक इन स्टोरेज बांधों का निर्माण नहीं हो जाता, हरियाणा को यमुना से पानी की सुनिश्चित आपूर्ति नहीं हो सकती। यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया गया, जिसने इन सभी परियोजनाओं को पहले ही राष्ट्रीय परियोजनायें घोषित कर दिया है, जिनकी 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत लागत भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाती है। हरियाणा ने इन सभी परियोजनाओं से पानी और बिजली में न्यायोचित हिस्से की मांग की है। रेणुका और किशाऊ बांधों की निर्माण लागत और लाभों की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में बेसिन राज्यों के बीच एक नया समझौता करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा द्वारा इस पर भी जोर दिया गया कि लखवार व्यासी डैम की निर्माण लागत और लाभों की हिस्सेदारी के लिये भी एक समझौता किया जाये।

47. मार्च, 2009 के मूल्य सूचकांक के आधार पर रेणुका बांध की संशोधित लागत 3572.19 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। रेणुका बांध को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इस बांध के त्वरित निर्माण के लिये वन स्वीकृति शीघ्र देने के लिये पैरवी की जा रही है। हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य के लिये 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत कर दी है और इसके निर्माण में अपने हिस्से की राशि के रूप में मार्च, 2010 में हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटिड, शिमला के पास 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करवा दी है।

48. मेवात के पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये मेवात फीडर कैनाल नामक एक नहर का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिये डब्ल्यू ए पी सी ओ एस द्वारा 640 करोड़ रुपये का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना को धन के लिये राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड को भेजने का प्रस्ताव है।

49. हरियाणा राज्य को इस वर्ष भारी बाढ़ों का सामना करना पड़ा। सरकार का ड्रेनेज़ नैटवर्क की मरम्मत के लिये और कटाव रोधी कार्यों के लिये 664.11 करोड़ रुपये की लागत से 251 नई परियोजनायें और 157 करोड़ रुपये की लागत से 103 चालू परियोजनायें क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010—11 के दौरान सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सिंचाई आधारभूत संरचना की मरम्मत के लिये आपदा

राहत कोष के अन्तर्गत 46.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और नाबार्ड योजना के अन्तर्गत भी बाढ़ बचाव कार्यों के लिये 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

50. पिछले साल केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी परामर्शी समिति द्वारा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के अन्तर्गत यमुना नदी तथा इसके साथ लगते जिलों में इसकी सहायक नदियों के तटबंधों को सुदृढ़ करने हेतु बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं के लिये 173.75 करोड़ रुपये के परियोजना अनुमान भी अनुमोदित किये गये। इस राशि में से हरियाणा ने 9 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च कर ली है और 40.98 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जायेगी। इन योजनाओं पर 31 मार्च, 2012 तक 123.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

12.00 बजे

51. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 1748.48 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 881.17 करोड़ रुपये योजनागत तथा 867.31 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य

52. प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देते हुए राज्य सरकार ने अपनी नई 'औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011' घोषित की है, जो पहली जनवरी, 2011 से लागू है। वास्तव में, आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों के लगभग 84 प्रतिशत योगदान के साथ परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में राज्य की उपलब्धियों तथा निवेश क्रियान्वयन दर को क्रमशः सैन्टर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इण्डियन इकॉनोमी (सी.एम.आई.ई.) व एसोचैम जैसी स्वतन्त्र एजेन्सियों द्वारा मान्यता दी गई है।

53. वर्ष 2009–10 के दौरान, हरियाणा का निर्यात 42,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वर्ष 2005 के बाद राज्य में 53,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, राज्य में अब तक 12,928.96 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जिसमें से 9,428.96 करोड़ रुपए का निवेश औद्योगिक नीति–2005 के क्रियान्वयन के उपरांत हुआ है। राज्य के पास विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग की 1,000 से अधिक परियोजनाएं हैं।

54. नई औद्योगिक एवं निवेश नीति–2011 से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में निवेश क्षितिज बढ़ने की सम्भावना है। यह महसूस किया जा रहा है कि पूरे राज्य में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा विकसित की गई गुणवत्तापरक औद्योगिक आधारभूत संरचना के बावजूद यह विकसित औद्योगिक स्थल

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

के लिए बढ़ती हुई मांग को अपने स्तर पर पूरा करने में सक्षम न हो सके। विकसित औद्योगिक भूमि की उपलभ्यता दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में निरन्तर मुश्किल एवं महंगी होती जा रही है। सरकार इन कठिनाइयों के प्रति सचेत है, परन्तु यह इस तथ्य को भी स्वीकारती है कि नए क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में निजी क्षेत्र के प्रयासों की भी आवश्यकता है। यही कारण है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचागत संरचना विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति को समुचित मान्यता दी गई है।

55. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हमने कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन आरम्भ किए हैं। हमें आशा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से आवश्यक संयोजन उपलब्ध होगा तथा यह सब्जियों की खेती के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक होगा।

56. यह ध्यान में रखते हुए कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ है, सरकार का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र के विकास एवं प्रतिस्पर्धा के लिए एक संस्थागत सहयोग व्यवस्था स्थापित की जाए। हरियाणा ऐसे कुछेक राज्यों में से एक है, जिन्होंने औद्योगिक विकास की एक रणनीति के रूप में Cluster Development पर ध्यान केन्द्रित किया है। अब उद्योगों की भागीदारिता के साथ सांझे सुविधा केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है।

57. नया कारोबार आरम्भ करने के लिए स्वीकृति एवं सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहलू पर ध्यान केन्द्रित करते हुए औद्योगिक नीति में स्वयं या तीसरे पक्ष प्रमाणीकरण के माध्यम से स्व–विनियमन की व्यवस्था है।

58. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई इन्फ्रास्ट्रक्चर की कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं से निवेश तथा आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान होंगे। दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के तहत समर्पित फ्रेट कोरिडोर के दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर लम्बी एक पट्टी विकसित करने का विचार है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तथा अत्याधुनिक आधारभूत संरचना वाले एक आधार का निर्माण हो सके। गुड़गांव तथा दिल्ली के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एग्जीबिशन–कम–कन्वेंशन सैण्टर तथा बहुद्देशीय मॉडल लोजिस्टिक्स हब की पहचान महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूप में की गई है।

59. हमने औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय आवश्यकताओं पर विशेष

ध्यान दिया है। आईएमटी मानेसर में इस सुविधा के लिए किए गए प्रावधान के आशानुरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही दूसरी आईएमटीज़ में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है।

60. हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि कौशल विकास हमारे लोगों की रोज़गार–क्षमता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से कई कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

61. इण्डस्ट्रीयल मॉडल टाऊनशिप की पद्धति के बाद उच्च कोटि की आधारभूत संरचना के प्रावधान इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। रोहतक, फरीदाबाद तथा रोज–का–मेव में स्थापित किए जा रहे तीन इण्डस्ट्रीयल मॉडल टाऊनशिप विकास के विभिन्न चरणों में हैं। खरखौदा में भी औद्योगिक मॉडल टाऊनशिप विकसित करने का प्रस्ताव है। इस समय, लगभग 8000 एकड़ भूमि पर विकास कार्य चल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमि बैंक की स्थापना तथा इसका विकास एक निरन्तर जारी रहने वाली कवायद है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा 12000 एकड़ और भूमि का अधिग्रहण तथा विकास करने का प्रस्ताव है।

इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तन्त्र

62. गुड़गांव के एक आईटी/आईटीईएस इण्डस्ट्री के हब के रूप में उभरने के फलस्वरूप, हरियाणा ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। सभी महत्वपूर्ण आईटी कम्पनियों ने राज्य में अपने उपक्रम स्थापित किये हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान आईटी तथा आईटीईएस का निर्यात 23 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तथ्य के दृष्टिगत कि 35 आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक जोन को स्वीकृति प्रदान की गई है, सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर पार्क की स्थापना के लिए 33 लाइसैंस प्रदान किये गये हैं तथा औद्योगिक मॉडल टाउनशिप मानेसर में 10 टैक्नोलोजी पार्क स्थापित हो रहे हैं, भविष्य में इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

63. बच्चों में सूचना प्रौद्योगिकी संचालन कौशल के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 2600 से अधिक राजकीय विद्यालयों तथा सभी राजकीय महाविद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा राज्य में विभिन्न तकनीकी संस्थानों में पहले से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त होगी। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
किये गये हैं ताकि उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्य में ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का प्रयोग के लिए सक्षम बनाया जा सके।

64. सरकार ने राज्य में आईसीटी आधारभूत संरचना सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाये हैं। राज्यव्यापी क्षेत्र तंत्र स्थापित करके विभिन्न विभागों के लगभग 1400 कार्यालयों के लिए Vertical and Horizontal Connectivity उपलब्ध करवाई गई है। राज्य डाटा केन्द्र की स्थापना के लिए कार्य आरम्भ किया जा चुका है। स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे की एक अन्य परियोजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जो विभिन्न विभागों के समेकिकरण और आंकड़ों के आदान–प्रदान में उपयोगी होगी। इसके अलावा, विभिन्न विभागों को ई–शासन की विभिन्न पहलकदमियों की परिकल्पना तथा क्रियान्वयन में तकनीकी तथा विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य ई–शासन प्रबन्धन टीम (एसईएमटी) तैयार की जा रही है।

65. क्रियान्वयन के लिए पहचान की गई ई–शासन की कुछेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ड्राइविंग लाईसेंस, वाहनों का पंजीकरण, वाणिज्यिक कर तथा समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली से सम्बन्धित हैं। चार सेवाएं, नामतः आयकर प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, अधिवासी प्रमाण–पत्र तथा शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु 'ई–जिला' नामक एक परियोजना पायलट आधार पर क्रियान्वित की गई है। इस परियोजना को दूसरे जिलों में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

66. राज्य में यूआईडी परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए आईटी विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पीडीएस प्रौजेक्ट के साथ यूआईडी परियोजना का दायरा बढ़ाने का विचार है ताकि एक प्रमाणिक राज्य अधिवासी डाटाबेस तैयार किया जा सके, जिसे लाभ प्रबन्धन कार्यक्रमों तथा नागरिक सेवाएं प्रशासन के साथ समेकित करने का प्रस्ताव है। मैंने विभिन्न विभागों में ई–शासन पहलों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य में आईटी कैडर सृजित करने की हमारी योजनाओं का उल्लेख किया था। हमने आईटी कैडर का मूलभूत ढांचा पहले ही तैयार कर लिया है और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

67. विभिन्न विभागों के लिए आबंटित धनराशि के अतिरिक्त, मैं राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 24.02 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित कर रहा हूँ।

सड़क परिवहन

68. अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सुनियोजित एवं कार्यकुशल परिवहन प्रणाली एक आवश्यक घटक है। हरियाणा परिवहन अपने लगभग 3400 बसों के बेड़े को 20 डिपू तथा 16 उप–डिपुओं से संचालित करके राज्य के लोगों को सुरक्षित,

गौरवशाली, कुशल, समुचित, व्यवस्थित तथा आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। यात्रियों की जन–सुविधाओं तथा आराम के लिए राज्य में 92 आधुनिक बस स्टैण्ड्स तथा अनेक बस क्यू शैल्टर स्थापित किए गए हैं। हरियाणा परिवहन में 16,815 कर्मचारी हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें प्रतिदिन लगभग 11 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इनमें प्रतिदिन 11 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं।

69. हरियाणा रोडवेज ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत विशेष आर्थिक पैकेज के तहत आरामदायक एवं सुनियोजित शहरी परिवहन यात्री सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए फरीदाबाद में शहरी बस सेवा का चरण–1 आरम्भ कर दिया है। विभाग ने गुड़गांव में सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति के आधार पर बेहतर अन्तर शहरी बस सेवाएं आरम्भ करने तथा सिटी बस सेवा के क्रियान्वयन व वित्त व्यवस्था के लिए भावी आपरेटरों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्य सम्पादन सलाहकार नियुक्त किया है।

70. यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक बस स्टैण्ड अहम् भूमिका अदा करते हैं। सरकार ने राज्य में 20 विभिन्न स्थानों पर निर्माण–संचालन–हस्तान्तरण आधार पर नए अत्याधुनिक बस स्टैण्डों का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। करनाल तथा गुड़गांव के सैक्टर 29 में दो स्थलों का चयन पहले ही किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 के दौरान, बस स्टैण्डों तथा क्यू शैल्टरों के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे तथा वर्ष 2011–12 के लिए 25 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। झज्जर में नए बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है तथा रेवाड़ी बस स्टैण्ड के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है।

71. समुचित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2011–12 के अन्त तक हरियाणा परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या 3400 से बढ़ाकर 4500 बसें करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के लोगों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने वर्तमान 38 वातानुकूलित डीलक्स बसों तथा 10 वॉल्वो वातानुकूलित बसों के वर्तमान बेड़े के अतिरिक्त 100 वातानुकूलित साधारण बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए विभाग को वर्ष 2010–11 के दौरान 119.10 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया, जिसे वर्ष 2011–12 के लिए और बढ़ाकर 135.85 करोड़ रुपये किया गया है।

72. हरियाणा परिवहन की कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान क्रमशः एक करोड़ रुपये व 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, परिवहन विभाग के प्रत्येक विंग

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

(विनियामक विंग तथा हरियाणा रोडवेज) के लिए एक–एक करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान कम्प्यूटरीकरण कार्यों के लिए आबंटित की गई है।

73. हरियाणा परिवहन सड़क दुर्घटनाओं तथा घातक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सख्त सड़क सुरक्षा उपाय क्रियान्वित कर रहा है। इस सम्बन्ध में किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप, हरियाणा परिवहन सड़कों पर वाहनों की संख्या में हुई कई गुणा वृद्धि के बावजूद दुर्घटना दर वर्ष 1994–95 में 0.21 प्रति लाख किलोमीटर से कम करके वर्ष 2009–10 में इसे 0.08 प्रति लाख किलोमीटर करने में सफल रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान, भूमि व भवनों तथा सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। हरियाणा परिवहन द्वारा राज्य में भारी वाहन चालकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए छः विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, चालक प्रशिक्षण स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 14 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

74. सरकार समाज के कुछेक पात्र वर्गों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी जागरूक है। हरियाणा परिवहन समाज के पात्र वर्गों के लोगों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों, साक्षात्कार पर जाने के लिए बेरोजगार युवकों, शत–प्रतिशत विकलांगों को एक सहायक के साथ, स्वतन्त्रता सेनानियों, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों, प्रेस संवाददाताओं, पुलिस/कारागार कर्मियों को निःशुल्क या रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। राज्य सरकार ने रक्षाबन्धन के अवसर पर महिलाओं तथा उनके 15 वर्ष तक के बच्चों को हरियाणा परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट भी दी है।

75. बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में लगभग 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तीन चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ में स्थापित किए जा रहे संस्थान के लिए केन्द्र सरकार से 119.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इन संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है। ये संस्थान न केवल चालकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि इनका उपयोग सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए भी किया जाएगा।

76. रोहतक में 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वाहनों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक पूर्णतः स्वचालित तथा कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण एवं जांच केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र में प्रति वर्ष लगभग 1,25,000 वाहनों की रोड पात्रता व अन्य जांच की जा सकेगी। इस प्रणाली से वाहनों के पात्रता प्रमाण–पत्र

जारी करते समय कर्मचारियों द्वारा अपने विवेक से लिए जाने वाले निर्णयों में कमी आएगी।

77. सरकार का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निजी क्षेत्र को शामिल करने के साथ—साथ हरियाणा परिवहन के बेड़े को सुदृढ़ व इसका विस्तार करके अतिरिक्त सेवाएं सृजित करने का भी प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों की मांग को पूरा करने के लिए मिनी बसें आरम्भ की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए स्टेज कैरिज स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।

78. कुशल सेवाएं प्रदान करने, बेहतर परिवीक्षण एवं सुरक्षा के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली शुरू की जाएगी।

79. मैं वर्ष 2011—12 के दौरान, इस क्षेत्र के लिए 1357.02 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन की तुलना में 93.98 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 100.85 करोड़ रुपये योजनागत तथा 1256.17 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

80. हरियाणा की कृषि के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां अभाव से समृद्धि की ओर निरन्तर आगे बढ़ने की गाथा है। राज्य ने वर्ष 1966—67 के दौरान 25.92 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग छः गुणा वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009—10 के दौरान 153.58 लाख मीट्रिक टन के प्रभावशाली आंकड़े को छू लिया। आज हरियाणा केन्द्रीय पूल में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात हरियाणा राज्य से होता है।

81. वर्ष 2010—11 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 167.60 लाख टन का रखा गया है, जिसमें 49.70 लाख टन खरीफ के लिए तथा 117.90 लाख टन रबी मौसम के लिए है, जो गत वर्ष के 153.58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की उपलब्धि की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, गन्ना, कपास तथा तिलहनों के लिए ये लक्ष्य क्रमशः 58.50 लाख टन, 25.06 लाख गांठें तथा 10.90 लाख टन निर्धारित किए गए हैं।

82. गत वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों के मद्देनजर वर्ष 2011—12 के लिए खाद्यान्नों के लिए 169.17 लाख टन, गन्ने के लिए 77 लाख टन, कपास के लिए 22.97 लाख गांठें तथा तिलहन के लिए 10.82 लाख टन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

83. कृषि विभाग ने किसानों को बीजों के उपचार के लाभ के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा रबी 2010—11 के दौरान गेहूं के प्रमाणित बीजों का शत—प्रतिशत

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
उपचार सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गेहूं के प्रमाणित बीजों के उपचार के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

84. विभाग कृषि की नवीनतम तकनीकों, बीजों की नवीनतम किस्मों, कृषि के बेहतर तौर–तरीकों व जैविक खेती इत्यादि को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य के सभी जिलों में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विकास अधिकारियों तथा किसानों के सहयोग से किसान मेलों का आयोजन करेगा।

85. राज्य सरकार ने चालू पिराई सीजन के दौरान गन्ने का मूल्य अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 220 रुपए, 215 रुपए और 210 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह देश में सर्वाधिक है। गन्ने की खेती के लिए गड्ढा पद्धति नामक एक नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी से गन्ने की पैदावार को दुगुना किया जा सकता है।

86. भूमिगत पाइप लाइन बिछाने की प्रणाली किसानों द्वारा पानी की बचत करने के लिए अपनाया गया एक लोकप्रिय तरीका है। वर्ष 2009–10 के दौरान, 23,120 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के तहत लाया गया और प्रणाली लागत की 50 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभानुभोगी 60,000 रुपये है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 24.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2010–11 के दौरान 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान, 50 करोड़ रुपये की लागत से 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव है।

87. राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन खण्डों, नामतः अम्बाला जिले के अम्बाला–2, कुरूक्षेत्र जिले के बबैन तथा फतेहाबाद जिले के टोहाना में गेहूं तथा धान की फसलों के लिए पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी क्रियान्वित की है। इसके अन्तर्गत, गेहूं की फसल के लिए 81 प्रतिशत सबसिडी तथा धान की फसल के लिए 75 प्रतिशत सबसिडी प्रीमियम के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का समान हिस्सा है। यह योजना ऋण धारक किसानों के लिए अनिवार्य है तथा गैर–ऋण धारक किसानों के लिए वैकल्पिक है।

88. गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि उपकरणों व बीज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, गड्ढा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना, मौलिक बीज नर्सरियां तैयार करना, गन्ने की फसल को जैविक खाद उपलब्ध कराना, ईख के मुलांकुर को बहुमुखी बनाना तथा प्रभावी उद्देश्यों के साथ प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराना समय की मांग है। विभाग द्वारा गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'गन्ने पर टैक्नोलॉजी मिशन' नामक एक नई राज्य योजना

क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2011–12 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 273 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

89. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कृषि उत्पादन अथवा उत्पादकता में सुधार लाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कई सुझावों की झलक इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में घोषित पहलों में मिलती है।

90. वर्ष 1966–67 में बागबानी फसलों के अधीन 19,170 हैक्टेयर क्षेत्र को बढ़ाकर वर्ष 2009–10 में 3,64,370 हैक्टेयर किया गया है। राज्य में बागबानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागबानी मिशन तथा सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन जैसी योजनाएं मिशन पद्धति के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अन्तर्गत 81 करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत 28.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने द्विपक्षी समझौते के अन्तर्गत 15.70 करोड़ रुपये की दो भारत–इस्रायल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से एक परियोजना घरौण्डा, करनाल में सब्जियों के उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में लागू की जा रही है, जो भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्घाटन 17 जनवरी, 2011 को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा भारत में इस्रायल के राजदूत श्री मार्क सोफर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह केन्द्र राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर सब्जियों के परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन लाएगा।

91. फलों तथा सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों के दुष्प्रभावों को नियन्त्रित करने के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 'बेहतर कृषि पद्धति तथा फल व सब्जियों पर कीटनाशकों के अवशेषों के प्रभाव' नामक एक नई योजना आरम्भ की जाएगी। इसके लिए बागबानी विभाग को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

92. वर्तमान में राज्य में पशुधन की जनसंख्या 90.50 लाख है, जिसमें 15.52 लाख पशु तथा 59.53 लाख भैंसें शामिल हैं और इनकी चिकित्सा देखभाल 2789 पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा की जा रही है। औसतन प्रत्येक तीसरे गांव पर एक पशु चिकित्सा अस्पताल है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलभ्यता 673 ग्राम है, जो 258 ग्राम की राष्ट्रीय औसतन की तुलना में देश में दूसरी उच्चतर है। वर्ष 2010–11 के दौरान निर्धारित किए गए 62.50 लाख टन दुग्ध, 41,500 लाख अण्डे तथा 12.80 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2011–12 के लिए 65 लाख टन दुग्ध, 43,500 लाख अण्डे तथा 13.30 लाख किलोग्राम ऊन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान उच्च कोटि के जीव–द्रव्य के संरक्षण एवं उत्पत्ति के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 400 लाख रुपये की राशि विशेष रूप से निर्धारित की गई है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्राह भैंसों के मालिकों को प्रोत्साहन के रूप में 5000 रुपये से 25,000 रुपये की नकद राशि के पुरस्कार दिए

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हाल ही में शुरू किये गये बांझमुक्त पशुधन नामक अनूठे कार्यक्रम को वर्ष 2011–12 में भी जारी रखा जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण युवक प्रशिक्षण के बाद पशुपालकों को उनके घर–द्वार पर ही ए.आई. सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। वर्ष के दौरान, सर्वोत्तम नियमित प्रजनन के लिए Hormonal Intervention के साथ विशेष जनन क्षमता प्रबन्धन शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहली दिसम्बर, 2010 से एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आरम्भ किया गया है। राज्य में गौमाता के संरक्षण एवं कल्याण के लिए एक गौसेवा आयोग गठित किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 200 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

93. वर्ष 2011–12 के दौरान, 4675 लाख मत्स्य बीज स्टॉक तथा एक लाख टन मत्स्य उत्पादन का प्रस्ताव है। वर्ष 2010–11 के दौरान, मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 93940 मीट्रिक टन था। मत्स्य उत्पादकता प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष 5400 किलोग्राम से बढ़ाकर 5500 किलोग्राम की जाएगी। मत्स्य पालन के अधीन वर्तमान 17000 हैक्टेयर जल क्षेत्र को बढ़ाकर वर्ष 2011–12 के अन्त तक 18700 हैक्टेयर किया जाएगा। पारम्परिक कार्प मत्स्य उत्पादन के स्थान पर उच्च मूल्य की मत्स्य प्रजातियां, जैसे कि–मगर व सजावटी मछलियों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा 20,000 परिवारों को पूर्णकालीन तथा 55,000 परिवारों को अंशकालीन रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2011–12 के दौरान, 720 लाख रुपये राज्य योजना परिव्यय तथा 151. 29 लाख रुपये केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं।

94. हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायाकल्प करने में सहकारिता आन्दोलन ने सतत् प्रयास किए हैं। सहकारिता आन्दोलन ने ग्रामीण लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता सहित अनेक सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। इस समय, विभिन्न प्रकार की 35,000 से अधिक सहकारी समितियों और इनके 57 लाख से अधिक सदस्य राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि ऋण की राशि से कलेक्टर दर पर डेढ़ गुणा से अधिक कीमत की किसानों की रेहन रखी गई जमीन को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रेहन मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, प्रदेश में 28,386 किसानों की 39,095 एकड़ फालतू भूमि को रेहन मुक्त किया जाना है। अक्तूबर 2010 तक 12,450 किसानों की 8407 एकड़ 4 कनाल भूमि रेहन मुक्त की गई। टोहाना में 24.50 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक चावल मिल स्थापित की जा रही है तथा तरावड़ी की चावल मिल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गुड़गांव में एक लाख 80 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में एक बहुमंजलीय तथा बहुद्देशीय भण्डारण गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च

की जाएगी। इस भण्डारण गृह की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन् होगी। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ ने ACE Derivatives and Commodity Exchange के साथ अपनी 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी के रूप में 16.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पहली अप्रैल, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान हरियाणा में सहकारी डेयरियों द्वारा प्रति दिन 4.45 लाख दूध की खरीद की गई। दूध की दरें 350 रुपये प्रति किलो फैट से बढ़ाकर 365 रुपये प्रति किलो फैट की गई है। दूध उत्पादकों को 21.55 रुपये प्रति किलो की दर से अदायगी की जा रही है। उन किसानों के लिए, जो प्रतिबद्ध सदस्य हैं तथा पिछले तीन वर्षों से निरन्तर दूध की आपूर्ति कर रहे हैं, बीमा योजना आरम्भ की गई है। किसानों का एक लाख रुपये का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें केवल 5 रुपये देने होंगे। योजना के अन्तर्गत 26,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

95. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1529.18 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन से 264.95 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 883.69 करोड़ रुपये योजनागत तथा 645.49 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के लिए हैं।

वन एवं पर्यावरण

96. वन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, इनका संरक्षण कोई विलास–वस्तु नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। ऐसे अमूल्य संसाधनों के प्रबन्धन के लिए एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण, उचित नीति तथा दीर्घावधि आयोजन की जरूरत होती है।

97. वर्ष 2009–10 के दौरान, विभाग द्वारा 191 लाख पौधों का रोपण करके 20,777 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधारोपण के अन्तर्गत लाया गया। इसके अलावा, राज्य के लोगों को 317 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। इस प्रकार, इस वर्ष के दौरान 94.99 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च से कुल 508 लाख पौधे लगाए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान, राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधे निःशुल्क वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए 146.50 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें 13 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप–योजना के शामिल हैं। ग्रामीण उत्थान के लिए समेकित वनीकरण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

98. राज्य में वृक्षों के अधीन कुल क्षेत्र में वृद्धि करने तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008–09 से 'क्लोनल एग्रो–फॉरेस्ट्री' नामक एक नई योजना लागू की गई है। इस योजना में वाणिज्यिक मूल्य के क्लोनल सफेदे तथा पॉपलर के पौधे तैयार करने तथा उन्हें लघु एवं सीमांत किसानों के खेतों में लगाने पर बल दिया गया है। यह योजना राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए 25 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

99. कलेसर, मोरनी की पहाड़ियों तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के वनों में एक इको–टूरिज्म परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के पहले चरण में इको–टूरिज्म गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त 6.48 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। परियोजना का 1.80 करोड़ रुपये का दूसरा चरण केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

100. राज्य वन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, विशेषकर महिला समूह गठित करने का प्रस्ताव है ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए आय अर्जन के साधन जुटाए जा सकें। इन स्वयं सहायता समूहों को स्व–रोजगार तथा आय सृजन हेतु छोटे उद्यम आरम्भ करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 1700 से अधिक ग्रामीण वन समितियां तथा 2380 स्वयं सहायता समूहों, जिनमें अधिकांश महिलाओं के हैं, गठित किए गए हैं।

101. अरावली क्षेत्र के भूमिगत जल भण्डार के संभरण के लिये 50 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत ज़िला महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात में 'वाटर हारवेस्टिंग डैम', चैक डैम बनाये जायेंगे, जल भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक तीन वर्ष की अवधि में उपलब्ध कराई जायेगी।

102. राज्य सरकार गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में है ताकि औद्योगिक इकाइयों समेत समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवदेनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को औद्योगिक इकाइयों द्वारा सृजित किए जाने वाले वायु, पानी के प्रदूषण एवं हानिकारक कचरे के दुष्प्रभाव के प्रति सचेत किया जा सके। जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने के लिए पर्यावरण विभाग में एक जलवायु परिवर्तन मण्डल सृजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।

103. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 234 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन की तुलना में 24.24 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 150 करोड़ रुपये योजनागत तथा 84 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के शामिल हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

104. महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण लोगों की किस्मत को बदलने के लिए हमें रणनीतिगत, पुरजोर तथा स्पष्ट रूप से विचार करना होगा। लोत्जे के शब्दों में–

> **"अपने विचारों के प्रति सजग रहो; इनसे शब्द बनते हैं।**
> **अपने शब्दों के प्रति सजग रहो; इनसे कार्य बनते हैं।**
> **अपने कार्यों के प्रति सजग रहो; इनसे आदतें बनती हैं।**
> **अपनी आदतों के प्रति सजग रहो; इनसे चरित्र बनता है।**
> **अपने चरित्र के प्रति सजग रहो; इसीसे आपकी किस्मत बनती है।"**

यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, "यदि आप विश्व में बदलाव देखना चाहते हो तो स्वयं को बदलना होगा।"

105. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (क) तथा बी.पी.एल. परिवारों को 100–100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट निःशुल्क आवंटित किए जाते हैं। इन स्थलों पर बिजली आपूर्ति, पेयजल व पक्की गलियों सहित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं एक निश्चित समयावधि में विकसित की जानी हैं। चिह्नित किए गए 6 लाख पात्र परिवारों में से 3.40 लाख परिवारों को प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं। शेष पात्र परिवारों को, जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है, ऐसे प्लाटों के आवंटन के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में वे शेष गांव आएंगे, जहां भूमि अधिग्रहण द्वारा उपलब्ध करवाई जानी है। आन्तरिक सड़कें तथा जल निकासी की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाए जाएंगे। इस समय 600 से अधिक गांवों/स्थलों पर विकास कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान, इन बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 4,466 लाख रुपये की राशि जारी की गई तथा वर्ष 2010–11 के दौरान 396 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। आगामी वर्ष 2011–12 के लिए 5000 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

106. **गलियां पक्की करने की योजना** के अन्तर्गत सरकार गांवों की मुख्य गलियों को पक्का करने के लिए 10 लाख रुपये प्रति गांव उपलब्ध करवाकर राज्य के सभी 6764 गांवों को कवर करने की इच्छुक है। गलियों को इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लाक्स के साथ पक्का किया जाता है जिन्हें बाद में पाइप लाइन डालने या आवश्यक मरम्मत के लिए आसानी से हटाया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत 5365 गांवों को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2009–10 के दौरान, 38,400 लाख रुपये के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके मुकाबलें 25,295 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 10,000 लाख रुपये की राशि जारी की गई

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
है और इस वर्ष 9500 लाख रुपये की राशि और जारी किए जाने की सम्भावना है। आगामी वर्ष 2011--12 के लिए 6300 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

107. आदर्श गांव योजना के अन्तर्गत शहरों जैसी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर 98 चयनित गांवों को आधुनिक टाऊनशिप की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन गांवों में गन्दे पानी की निकासी के लिए पक्की गलियों के साथ--साथ ड्रेन, घरों के लिये पेयजल के पार्श्व कनैक्शनों समेत पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें उपलब्ध करवाकर इनके आधुनिकीकरण के लिए 42,500 लाख रुपये निर्धारित किए हैं। इनमें से 89 आदर्श गांवों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 42,000 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से अब तक 36,600 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

108. मैं वर्ष 2011--12 से ऐसे गांवों के लिए 'मुख्यमंत्री सामाजिक--सौहार्द' पुरस्कार योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें कोई विवाद अथवा मुकदमा नहीं है।

109. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पहली जनवरी, 2011 से कामगारों को मजदूरी के तौर पर 179 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। मजदूरी की अदायगी साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2011--12 के दौरान, इलैक्ट्रानिक्स हस्तान्तरण के प्रयास किए जाएंगे।

110. राज्य में इस समय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे युवाओं की क्षमता वृद्धि तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, मेवात, महेन्द्रगढ़, सोनीपत तथा यमुनानगर में 8 ग्रामीण स्व--रोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार ग्रामीण स्व--रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का योगदान देती है। ग्रामीण बीपीएल युवाओं को स्व--रोजगार प्रशिक्षण के लिए इन संस्थानों का प्रबन्धन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जा रहा है।

111. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत आबंटित किए गए 30.44 करोड़ रुपये की राशि में से 23.48 करोड़ रुपये खर्च करके 2836 कार्य आरम्भ किए गए हैं तथा जनवरी 2011 तक 1696 कार्य पूरे किए गए। स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, नए आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, भण्डारण टैंकों व मोबाइल पानी टैंकरों का प्रावधान तथा जलमार्गों के निर्माण द्वारा गांवों के तालाबों को पानी के स्रोतों से जोड़ना जैसे कार्यों की अन्तराल के अनुसार पहचान करके उन्हें वर्ष 2010--11 की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत

वर्ष 2011–12 के दौरान 30.44 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

112. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1104.86 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन से 85.64 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 919.70 करोड़ रुपये योजनागत तथा 185.16 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के लिए हैं।

शहरी स्थानीय निकाय

113. वर्तमान में, राज्य की 28 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही है। वर्तमान सरकार ने शहरी क्षेत्रों की अनदेखी करने की पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के विपरीत इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और सरकार शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा शहरी क्षेत्रों में नागरिक मूलभूत जनसुविधाएं सुधारने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाएगी। मूलभूत संरचना, जैसेकि– सड़कें, जल निकासी, जलापूर्ति, सीवरेज इत्यादि के अन्तराल को पाटने के लिए हरियाणा के 73 शहरों की शहर विकास योजनाएं तैयार की गई हैं।

114. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने घोषणा की है कि सभी शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे वार्डों के विकास के लिए दो वर्षों में एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों के लोगों की है। तदनुसार, ऐसे 144 वार्डों को वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान, 144 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

115. वर्ष 2010–11 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवनीकरण मिशन के अन्तर्गत 196.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मिशन के तहत फरीदाबाद नगर निगम की 823.33 करोड़ रुपये की सात विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके मुकाबले, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 162.87 करोड़ रुपये तथा 65.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवनीकरण मिशन के तहत मलिन बस्ती वासियों के लिए फरीदाबाद की दबुआ कॉलोनी तथा बापू नगर में 3248 बहुमंजली आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद शहर में सीवरेज, जलापूर्ति, जल निकासी, ठोस कचरा प्रबन्धन जैसी अन्य आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ शहरी परिवहन के लिए बसें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पंचकूला, जिसे चंडीगढ़ तथा मोहाली के साथ हाल ही में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवनीकरण मिशन में शामिल किया गया है, शहर की विकास योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है और इसे फण्ड आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवनीकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से फण्ड प्राप्त करने की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
दृष्टि से वर्ष 2011–12 के बजट में 196.17 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

116. हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों में एरिया सभा तथा वार्ड समिति गठित करके नगरपालिकाओं के काम–काज में नागरिकों की संस्थागत भागीदारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना आरम्भ की है। यह योजना प्राथमिकता तय करने, वार्ड योजनाएं तथा बजट तैयार करने, विनियमों की अनुपालना के लिए दबाव बनाने इत्यादि में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना से वित्त–पोषित सभी परियोजनाओं में परियोजना लागत की कम से कम 40 प्रतिशत राशि सामुदायिक योगदान से एकत्रित की जाएगी। यदि योजना में बड़े स्तर पर शहरी गरीब समुदाय शामिल हैं, तो इसमें आकलन प्रक्रिया के दौरान 20 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है तथा यह प्रतिशलता क्रियान्वयन प्रक्रिया आधार पर पुनः आंकी जा सकती है।

117. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान, इस क्षेत्र के लिए 1695.01 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष के आबंटन से 90.78 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 1662.95 करोड़ रुपये योजनागत तथा 32.06 करोड़ रुपये योजनेत्तर खर्च के लिए हैं।

शिक्षा

118. मेरी सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि 21वीं सदी ज्ञान की शताब्दी है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि 'एक भी बच्चा, पहुंच या संसाधन के अभाव के कारण न छूटने पाए। श्रीमान जी, हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की कहानी से परिचित है। हम प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करके सरस्वती को पुनः प्रकट करना और अपनी भूमि के सभी हिस्सों में बहते देखना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक बच्चे के लिए "निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' के संवैधानिक अधिकार को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाये जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस समय प्रारुप नियमों पर पणधारकों से गहन परामर्श किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में सभी तरह के फंड और फीस समाप्त कर दी गई हैं। बच्चों पर दबाव कम करने के लिए 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर दी गई है। समुदाय को स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रबंधन समितियों को स्कूल निर्णय प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ईंट–भट्ठों, निर्माण स्थलों और स्टोन क्रशरों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता से कार्यस्थल स्कूलों की स्थापना की गई है। सभी खण्डों में विकलांग अनुकूल भवनों का निर्माण, सुसज्जित आदर्श संसाधन कमरों तथा विशेष अध्यापकों की नियुक्ति

से बड़ी संख्या में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सम्भव हो पाई है। राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वर्ष 2010 में 13000 से अधिक अध्यापकों की भर्ती की है। राज्य में 114 नये प्राथमिक स्कूल खोलकर और 177 स्कूलों को मिडल का दर्जा देकर विशेषकर मेवात में शिक्षा सुविधाओं के एक बड़े अंतर को भरा गया है। स्कूल अवसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक एस.एस.ए. योजना आकार 829 करोड़ रुपये है।

119. शिक्षा में राज्य का बजट निवेश पिछले पांच वर्षों में तीन गुणा बढ़ गया है। संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, लिंग समानता में सुधार करने और अध्ययन उपलब्धि स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहनों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लगभग 19.19 लाख विद्यार्थियों की सहायता की जा रही है। इससे प्रत्येक बच्चे को स्कूल की ओर आकर्षित करने में सहायता मिली है। वर्ष 2006 से स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात घटकर लगभग आधा रह गया है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 के बीच प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की दर 12.66 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है और प्राथमिक स्तर से ऊपर यह दर 24.51 प्रतिशत से घटकर 4.8 प्रतिशत रह गई है। राज्य सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधा शुरू करने के निर्णय से इसमें और कमी आने की सम्भावना है।

120. प्रदेशभर में उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक संस्थानों का एक तंत्र सृजित किया जा रहा है। भिवानी में एक "लैबोरेट्री स्कूल" खोला गया है, जिसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इसी तरह के समवर्ती अनुसंधान का प्रयोग प्रदेश भर के अन्य स्कूलों में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 36 खण्डों में एक–एक सीनियर सैकण्डरी मॉडल स्कूल और एक–एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बच्चों को उनकी अभिरुचि और अन्तर्निहित क्षमता के अनुसार विकसित करने के लिए खेल और विज्ञान शिक्षा पर विशेष रूप से केन्द्रित स्कूलों की स्थापना की जा रही है। किसान परिवारों के बच्चों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में पायलट आधार पर किसान मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ शिक्षा और रोजगार के बीच तालमेल को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए राज्य आई.सी.टी. पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा। इससे प्रत्येक बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा के साथ–साथ आई.टी. पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

121. अध्यापक, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है। राज्य ने बेहतर विनियमन, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के दृष्टिगत एक अनूठा पंचवर्षीय समेकित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

122. वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर पर प्रदेश में शत–प्रतिशत दाखिला और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को चलाया जा रहा है।

उच्चतर शिक्षा

123. इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

124. कम्प्यूटर, साइंस, अर्थशास्त्र, वाणिज्य जैसे पाठ्यक्रमों और अन्य रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की अत्यधिक मांग के दृष्टिगत राजकीय और सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2011–12 में सीटों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2011–12 के लिए 5020 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है। चार सामान्य विश्वविद्यालयों के संचालन और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग के योजनागत बजट में 6500 लाख रुपये की राशि और योजनेत्तर बजट में 5200 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

125. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011–12 के बजट में 3860 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

126. पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रदेश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ है तथा यह प्रक्रिया आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी।

127. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 6875.99 करोड़ रुपये का आबंटन कर रहा हूं, जो चालू वर्ष के आबंटन की अपेक्षा 602.67 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 2375.34 करोड़ रुपये योजनागत बजट और 4500.65 करोड़ रुपये योजनेत्तर बजट शामिल है।

13.00 बजे

खेल

128. सरकार की प्रगतिशील और परिणामोन्मुखी खेल नीति की व्यापक प्रशंसा हुई है। इसका उद्देश्य खेल आधारभूत संरचना विकसित करना, खेलों को लोकप्रिय

बनाना, छोटी आयु से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करके उनकी प्रतिभा का विकास करना तथा खिलाड़ियों के लिए आय और रोजगार के अवसर सृजित करना है। राज्य के खिलाड़ियों ने देश को शीर्ष खेल लीग में परिवर्तित किया है। हाल ही में सम्पन्न 19वें राष्ट्रमंडल और 16वें एशियन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्र द्वारा जीते गये कुल पदकों में से क्रमशः 35 प्रतिशत और 31.25 प्रतिशत पदक जीते हैं। हम उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई देते हैं। सरकार ने उन्हें 1324 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की सम्भावनाएं भी तलाश कर रही है। 187 ग्रामीण स्टेडियम विकास के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 100 खेल गांवों की पहचान की गई है और उनमें उन खेलों की आधारभूत संरचना का उन्नयन किया जा रहा है, जो वहां लोकप्रिय हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों को विजेता बनाने के उद्देश्य से उनके प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय खेल विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। खेलों को लोकप्रिय बनाने और प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने में सरकार के प्रतिभा खोज कार्यक्रम ''प्ले फॉर इंडिया'' ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षा (स्पेट) अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। दिसम्बर, 2010 में संचालित स्पेट 2011 के पहले चक्र में 8–19 वर्ष के आयु वर्ग के 20 लाख से अधिक लड़के और लड़कियों ने बड़े उत्साह व जोश के साथ भाग लिया। सरकार ने क्लब संस्कृति को बढ़ावा देकर और खेलों का व्यावसायीकरण करके प्रदेश के खेल मानकों का उन्नयन करने की योजना बनाई है। एक युवा राज्य होने के नाते हरियाणा के शारीरिक रूप से सक्षम युवक और युवतियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का विचार है ताकि वे भारत और विदेशों में खेलों में आय के अवसरों को अपना कैरियर बनाकर लाभ उठा सकें।

129. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 83.45 करोड़ रुपये का आबंटन कर रहा हूं, जिसमें 35.88 करोड़ रुपये योजनागत बजट और 47.57 करोड़ रुपये योजनेत्तर बजट शामिल है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

130. सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार के साथ–साथ स्व–रोजगार हेतु महिलाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। कुल 119 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 30 संस्थान विशेषकर महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, जबकि शेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सह–शिक्षा की सुविधा है। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन सभी राजकीय संस्थानों में महिलाओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या 27,792 से बढ़कर 31,416 हो गई है।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

तकनीकी शिक्षा

131. तकनीकी एवं पेशेवर मानवशक्ति प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है। तकनीकी शिक्षा विभाग इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, फार्मेसी, वास्तुकला, होटल प्रबन्धन और एप्लाइड आर्ट्स एण्ड क्राफ्टस के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के माध्यम से दक्ष तकनीशियनों समेत तकनीकी प्रबन्धक/अभियंता/पर्यवेक्षक और अन्य पेशेवर तैयार करता है। वर्ष 1966 में हरियाणा के अस्तित्व के समय प्रदेश में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थान और कुरुक्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज था, जिनकी वार्षिक सीट क्षमता लगभग 1341 थी। शैक्षणिक सत्र 2010–11 में संस्थानों की संख्या बढ़कर 596 तथा वार्षिक क्षमता बढ़कर 1,24,705 हो गई।

132. हरियाणा के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए 'प्रतिभा सम्मान समारोह योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसायटी द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसेकि एआईईईई, आईआईटी, जीएटीई, सीएटी में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले हरियाणा के उम्मीदवारों को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आने वाले उम्मीदवारों को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एचएसबीटीई द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा की शाखा में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 21,000–21,000 रुपये का नकद पुरस्कार और हरियाणा प्रदेश में आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वालों को भी 21,000–21,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

133. रोहतक में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चार अत्याधुनिक संस्थानों नामतः फिल्म एवं टेलीविजन, फैशन एण्ड डिजाइन, फाइन आर्ट्स एण्ड प्रोफैशनल स्टडीज का एक समेकित परिसर स्थापित किया जा रहा है।

134. भारत सरकार ने हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सैद्धांतिक सहमति दे दी है, इसके लिए जिला सोनीपत के गांव किलोर्ड में 128 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

135. राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में दक्ष मानव शक्ति का पूल सृजित करने के उद्देश्य से स्किल डिवेलप्मेंट मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसे वर्ष 2011–12 के दौरान शुरू किया जाएगा। एक उचित ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि वर्ष 2022 तक 50 करोड़ दक्ष मानव शक्ति सृजन करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

136. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 405.80 करोड़ रुपये की राशि

आबंटित कर रहा हूं, जिसमें 263.54 करोड़ रुपये की योजनागत तथा 142.26 करोड़ रुपये की योजनेत्तर राशि शामिल है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

137. हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस उद्देश्य के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें सभी ओपीडी तथा आपातकालीन मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयों का प्रावधान, मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में शीघ्र पहुंचाने के लिए रैफरल परिवहन सेवाएं, निर्धारित लागत का सर्जरी पैकेज, माताओं एवं शिशुओं की सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रसूति को बढावा देना इत्यादि शामिल हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2010 के दौरान ओपीडी मरीजों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में संस्थागत प्रसूतियों में 49 प्रतिशत की तुलना में 74.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सर्जरी पैकेज कार्यक्रम तथा रैफरल परिवहन सेवाओं से लाखों मरीज लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 2009 में किए गये सैम्पल रिसोर्स सर्वे के अनुसार शिशु मृत्यु दर वर्ष 2008 के 54 की तुलना में घटकर 51 रह गई। विभाग द्वारा जुटाए गये आंकड़ों के अनुसार मातृ–मृत्यु दर वर्ष 2009–10 में 164 की तुलना में नवम्बर, 2010 तक घटकर 137 रह गई। बच्चों की पूरी तरह से रोग प्रतिरक्षण की कवरेज अब 71.7 प्रतिशत है, जो अब तक की सर्वाधिक है।

138. जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन और ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पीजीआईएमएस रोहतक को अपग्रेड किया जा रहा है और खानपुर कलां, जिला सोनीपत, नल्हड़, जिला मेवात तथा करनाल में तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक–निजी सहभागिता पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने की सम्भावनाओं को तलाशा जा रहा है। पैरामैडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के तत्वावधान में डायरेक्टोरेट ऑफ पैरामैडिकल एजुकेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं औषध प्रशासन के बेहतर विनियमन के लिए एक नया खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग स्थापित किया गया है।

139. आयूष विभाग, हरियाणा श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र परिसर में औषध परीक्षण प्रयोगशाला तथा राजकीय फार्मेसी स्थापित कर रहा है। कुरुक्षेत्र के श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में लड़कों का छात्रावास निर्माणाधीन है। वर्ष 2011–12 के दौरान 5 नई डिस्पैंसरियां खोलने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान चार चिकित्सा शिविर आयोजित करना भी प्रस्तावित है।

140. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1443.61 करोड़ रुपये की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

राशि आबंटित कर रहा हूं, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 67.73 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 665.39 करोड़ रुपये की योजनागत तथा 778.22 करोड़ रुपये की योजनेत्तर राशि शामिल है।

महिला एवं बाल विकास

141. महिलाएं और बच्चे हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हैं और अमूल्य मानव संसाधन हैं। राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना और संस्थागत तंत्र तथा प्रसूति सेवाओं को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की एक शीर्ष प्राथमिकता है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2010–11 के लिए 482.32 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई, जबकि वर्ष 2011–12 के लिए 551.75 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 192 करोड़ रुपये की राशि राज्य योजना के अन्तर्गत है।

142. प्रारम्भिक बाल सेवाओं के समेकित दृष्टिकोण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना छः साल तक की आयु के बच्चों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास को बल प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा एवं पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाओं के छः पैकेज एक छत के नीचे उपलब्ध करवाना है। ये सेवाएं 17,444 आंगनवाड़ियों के तंत्र तथा 137 परियोजनाओं के माध्यम से दी जा रही हैं। राज्य में 8255 नई आंगनवाड़ियों, जिनमें 260 मिनी आंगनवाड़ियां तथा 11 नई परियोजनाएं शामिल हैं, की स्वीकृति के साथ हरियाणा ने समेकित बाल विकास सेवाएं योजना को सार्वभौमिक बनाया है।

143. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं तथा किशोर लड़कियों को गुणवत्तापरक पूरक पौषाहार उपलब्ध करवाकर बच्चों में पौषण स्तर को सुधारना प्रदेश की पहली प्राथमिकता है। पूरक पौषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9.14 लाख बच्चों, 2.72 लाख महिलाओं तथा 0.65 लाख किशोर लड़कियों को पूरक पौषाहार दिया जा रहा है। स्कूल पूर्व शिक्षा समेकित बाल विकास सेवाएं योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है और राज्य सरकार ने इसे सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आंगनवाड़ियों में जाएं। राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 में 5.07 करोड़ रुपये की लागत से 3500 आंगनवाड़ियों के लिए नई रंग–बिरंगी कुर्सियां और मेज उपलब्ध करवाई हैं और चालू वर्ष 2010–11 में 7.35 करोड़ रुपये की लागत से 6500 आंगनवाड़ियों को कवर किया जाएगा। राज्य सरकार ने रंग–बिरंगी आकर्षक स्कूल पूर्व शिक्षा किट चिह्नित की हैं और 4.31 करोड़ रुपये की

लागत से ऐसी किट सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार के इन कदमों से स्कूल पूर्व बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां और अधिक आकर्षक बनी हैं।

144. प्रदेश में बाल विवाह और गिरता लिंगानुपात गम्भीर चिंता का विषय है। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में प्रारम्भिक तौर पर पांच वर्षों के लिए लाडली नामक योजना शुरू की। अब राज्य सरकार ने इस योजना को अन्य पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के अन्तर्गत दूसरी लड़की के जन्म पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है और लड़की की आयु 18 वर्ष होने के बाद यह राशि लगभग एक लाख रुपये हो जाती है। यह योजना जनसाधारण में बड़ी लोकप्रिय हुई है। इस योजना के लागू होने से अब तक इससे 152.90 करोड़ रुपये के खर्च से 1.21 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।

145. वर्ष 2011—12 के दौरान जैंडर बजटिंग लागू की जाएगी और जैंडर मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने तथा कार्य योजना बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

146. मैं वर्ष 2011—12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 542.62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूं, जोकि चालू वर्ष के आबंटन की तुलना में 88.52 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 459.84 करोड़ रुपये की योजनागत तथा 82.78 करोड़ रुपये की योजनेत्तर राशि शामिल है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

147. हरियाणा सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों और केवल लड़की या लड़कियों वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्ष 2010—11 के दौरान इसके लिए 1557 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2011—12 के दौरान 1839.59 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

148. उन व्यक्तियों, जो अपने स्व—संसाधनों से आजीविका चलाने की स्थिति में नहीं है और अपनी आजीविका के लिए राज्य से वित्तीय सहायता की जरुरत है। राज्य के ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को समान रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 500 रुपये वृद्धावस्था भत्ता और पहली मार्च 2009 को 10 वर्ष पूरे करने वाले वृद्धों को 700 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 750 रुपये प्रतिमाह, विकलांगों को 500 रुपये प्रतिमाह (शत—प्रतिशत विकलांगों को 750 रुपये प्रतिमाह) किन्नरों और बौनों को 500 रुपये प्रतिमाह, हरियाणा में बसे कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार ने उन लोगों की पेंशन में 550 रुपये प्रतिमास की बढ़ौत्तरी 1 अप्रैल, 2011 से (मई, 2011 में देय) की है, जिनका नाम 1–3–1999 के बाद, परन्तु 1–4–2010 को या इससे पहले पंजीकृत था। नये पेंशन प्राप्तकर्ताओं, जिनका पंजीकरण 1–4–2011 से होगा, पहले की तरह 500 रुपये प्रतिमास पेंशन के रूप में दिया जायेगा।

149. वर्तमान में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 21 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। चौदह लाख से अधिक व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है, जबकि 4.90 लाख से अधिक विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.34 लाख से अधिक विकलांगों को विकलांग पेंशन दी जा रही है।

150. हरियाणा सरकार ने वार्षिक योजना 2011–12 के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान के साथ दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, पूर्ण विकलांगता या स्थाई विकलांगता की स्थिति में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के हरियाणा के पात्र व्यक्तियों को बीमा कवरेज उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 7000 परिवारों को वितरित करने के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

151. 'शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' की वर्तमान योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को प्रतिमाह 300 रुपये से 1000 रुपये तक दिए जाते हैं। रोहतक में 2.18 करोड़ रुपये के निवेश से मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए 300 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। विकलांगों के लिए अनुसंधान केन्द्रों, विशेष स्कूलों और मनोरंजन केन्द्रों हेतु वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष तक के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, जो स्कूल नहीं जा सकते, के लिए 300 रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता उपलब्ध करवाने की एक योजना भी राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 75 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त, विकलांगों के कल्याण के लिए भारत सरकार के नेशनल ट्रस्ट की सहायता से मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए आजीवन गृह स्थापित करना, बीमा योजना (निरमाया), देखभाल करने वालों को नियुक्त करने और स्थानीय स्तर की समितियों के वित्त पोषण जैसी अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा में कन्ट्रोल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग तथा ड्रग डी–एडिक्शन

सैंटर स्थापित करने के लिए वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 160.25 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

152. राज्य सरकार हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इनमें (i) वृद्धों के लिए राज्य पुरस्कार, (ii) हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को पहचान–पत्र जारी करना, (iii) हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को चश्में उपलब्ध करवाना, (iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवाएं परिसंघ/तंत्र स्थापित करने की योजना, (v) हरियाणा की वरिष्ठ महिला नागरिकों को हरियाणा रोडवेज की बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट, (vi) हरियाणा की सभी शहरी सम्पदाओं में वृद्धों के लिए सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित करना और (vii) हरियाणा प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब स्थापित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए वर्ष 2011--12 की वार्षिक योजना में 1876.50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

153. राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित चार योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही हैं। इनमें (i) विद्यार्थियों के लिए मैरिट--कम–मीन्स स्कॉलरशिप, (ii) निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना, (iii) विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, (iv) अल्पसंख्यक सघनता वाले जिलों के लिए विकास योजना शामिल है। केन्द्र की सहायता (75:25 अनुपात) से अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाने के दृष्टिगत विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की एक अन्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 2367 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

154. मैं वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1855.40 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूं, जो चालू वर्ष के आबंटन की तुलना में 273.96 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 1833.37 करोड़ रुपये की योजनागत तथा 22.03 करोड़ रुपये की योजनेत्तर राशि शामिल है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

155. हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों, घुमन्तू जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः कृतसंकल्प है।

156. कन्याओं का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने माता–पिता पर बोझ नहीं है, यह उचित होगा कि गरीब परिवारों (बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति के परिवारों और विधवाओं की लड़कियों) की कन्याओं का विवाह गरिमापूर्ण ढंग से किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

शगुन योजना' के तहत अनुसूचित जातियों/घुमन्तू जनजातियों/टपरीवास जातियों के बी0पी0एल0 परिवारों और समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को हरियाणा सरकार द्वारा 15,000 रुपये तथा समाज के अन्य वर्गों के परिवारों को 5,100 रुपये अनुदान दिया जा रहा था। यह अनुदान 26 जनवरी, 2010 से बढ़ाकर क्रमशः 31,000 और 11,000 रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 में 16 दिसम्बर, 2010 से, सरकारी/सहायताप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं में रहने वाली सभी निराश्रित लड़कियों को भी उनके विवाह के अवसर पर 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सरकारी/सहायताप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं में रहने वाली निराश्रित लड़कियों के मामले में गरीबी रेखा से नीचे/जाति की शर्त लागू नहीं होगी।

157. केन्द्र प्रायोजित 'पोस्ट मैट्रिक स्कीम' के अन्तर्गत 1 जुलाई, 2010 से पारिवारिक आय की वार्षिक सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। डे-स्कॉलर्स का मासिक गुजारा भत्ता भी 330 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये तथा छात्रावास में रहने वालों का मासिक गुजारा भत्ता 740 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है।

158. मैं वर्ष 2011-12 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 261.56 करोड़ रुपये आबंटित कर रहा हूँ, जो चालू वर्ष के आबंटन से 68.12 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 232.78 करोड़ रुपये की योजनागत और 28.78 करोड़ रुपये की योजनेत्तर राशि शामिल हैं।

राज्य सैनिक बोर्ड

159. महोदय, राज्य सरकार रक्षाकर्मियों, भूतपूर्व प्रतिरक्षाकार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। देश की रक्षा के लिए बहादुर सैनिकों द्वारा की गई सेवा और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने नकद पुरस्कारों की राशि में अत्यधिक वृद्धि की है और शौर्य पुरस्कार विजताओं (युद्धकाल में) अर्थात् परमवीर चक्र विजताओं को 25 लाख रुपये, महावीर चक्र विजेताओं को 15 लाख रुपये, वीर चक्र विजेताओं को 10 लाख रुपये, सेना मैडल (शौर्य) पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपये और मैंशन-इन-डिस्पैचिज (शौर्य) को 2.50 लाख रुपये और शांतिकाल के लिए शौर्य पुरस्कार विजेताओं अर्थात् अशोक चक्र विजेताओं को 25 लाख रुपये, क्रीति चक्र विजेताओं को 15 लाख रुपये, शौर्य चक्र विजेताओं को 10 लाख रुपये, सेना मैडल (शौर्य) विजेताओं को 5 लाख रुपये और मैंशन-इन-डिस्पैचिज (शौर्य) को 2.50 लाख रुपये की नकद राशि व वार्षिकी दी जा रही है।

160. विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर डिफैन्स कॉलोनियां भी विकसित की जा रही हैं। सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों और उनकी विधवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हरियाणा

सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी 1000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हरियाणा राज्य ने प्रतिरक्षा बलों के कार्मिकों की सभी घोषित युद्ध विधवाओं को भी भारत सरकार द्वारा पहले से दी जा रही पारिवारिक पैंशन के अतिरिक्त 1000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

योजना

161. यह सर्वमान्य है कि यदि बेहतर सांख्यिकीय प्रणाली विद्यमान हो, तभी उद्देश्यपरक और वैज्ञानिक नीतियां बनाई जा सकती हैं। धरातलीय सच्चाइयों को समझने, वैज्ञानिक और वास्तविक विकास योजनाएं बनाने, निर्णय करने और क्रियान्वयन में संसाधनों का प्रबंध करने, परिवीक्षण और लक्षित जनसंख्या पर योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन करने में आंकड़े सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण कारक या आधार हैं। प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध, सामयिक और प्रयोग अनुकूल आंकड़ों से विश्वसनीयता बढ़ती है। इनकी मांग स्वयं सृजित होती है। राज्य सामरिक महत्व के आंकड़े योजना (एसएसएसपी) बनाई गई है और वित्त के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को भेजी गई है। वर्ष 2011–12 से इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

162. महोदय ! मेरी सरकार योजना विभाग की कार्यक्रम मूल्यांकन इकाई को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती है, जो परियोजनाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों के दक्षता सुधार, प्रभावशीलता, प्रासंगिकता, प्रभाव, उपयोगिता और स्थिरीकरण में सहायता करेगी और सफल कार्यक्रमों को दूसरी जगह दोहराने तथा असफल कार्यक्रमों को समय पर दुरूस्त करने के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ भारी मात्रा में जनता के पैसे की बचत करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2011–12 अंतिम वर्ष है। सभी प्लान स्कीमें, जिन्हें 12वीं पंचवर्षीय योजना में ले जाया जाएगा, का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए मैं योजना विभाग में एक स्वतंत्र मूल्यांकन ग्रुप स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

163. अध्यक्ष महोदय ! हमारी सरकार वर्ष 2015 तक मिलेनियम विकास लक्ष्यों को हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। इन्हें हासिल करने के लिए हमने बेहतर संस्थानों, मानवाधिकारों, मानव सुरक्षा, अधिक से अधिक इक्विटी, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति, मार्केट व राज्य के बीच उचित संतुलन पर आधारित विकास नीति बनाई है, जो राज्य को न केवल नई ऊंचाइयों और स्थाई विकास के मार्ग पर ले जाएगी बल्कि गरीबी उन्मूलन और प्रभावी विकास को बढ़ाने का माहौल सृजित करेगी। हमारा विश्वास है कि गरीबी और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य असमानता शासन की असफलता, संस्थाओं के क्षरण और सामाजिक सद्भाव के पतन का परिणाम है। सुरक्षित भूमि स्वामित्व से कृषि विकास, वित्तीय क्षेत्र का विकास और भूमि धारकों की ऋण पात्रता में सुधार होता है। मानव पूंजी और बौद्धिक सम्पदा, शिक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
के माध्यम से लोगों का रोजगार और अर्जन क्षमता बढ़ाती है तथा श्रम बाजारों का विकास होता है।

बजट अनुमान 2011–12

164. महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बजट अनुमान 2011–12 के अन्तर्गत, 39170.45 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) दर्शाई गई हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 32018.19 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) 7152.26 करोड़ रुपये की हैं। ये आंकड़े संशोधित अनुमान 2010–11 के संगत आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 6651.67 करोड़ रुपये, 4421.45 करोड़ रुपये तथा 2230.22 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाते हैं। बजट अनुमान 2011–12 में, कुल खर्च (भुगतानों को छोड़कर) 40,276.28 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व खर्च 34,678.87 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 5597.41 करोड़ रुपये है। ये आंकड़ें संशोधित अनुमान 2010–11 के संगत आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 3704.58 करोड़ रुपये, 2623.75 करोड़ रुपये तथा 1080.83 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाते हैं। बजट अनुमान 2011–12 में, 2660.68 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और 8008.60 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। वर्ष 2011–12 के लिये चालू राजस्व शेष 4052.69 करोड़ रुपये दर्शाया गया है।

165. माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के दौरान किये गये मात्र 8308 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की तुलना में वर्ष 2005 से 2010 तक की अवधि में 18,995 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिये पूरी तरह से समर्पित है।

166. अब मैं बजट अनुमान 2011–12 में किये गये क्षेत्रीय आबंटनों के बारे में बताना चाहूँगा। कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्र को 1529.18 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को 4962.06 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र को 1357.02 करोड़ रुपये, सिंचाई क्षेत्र को 1748.48 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग क्षेत्र को 1900.31 करोड़ रुपये, शहरी विकास क्षेत्र को 1695.01 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा समेत शिक्षा क्षेत्र को 7401 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र को 1443.61 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र समेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र को 2806.87 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत क्षेत्र को 1104.86 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

167. बजट अनुमान 2010–11 में दर्शाई गई 11,100 करोड़ रुपये की वार्षिक

योजना की तुलना में वार्षिक राज्य योजना 2011–12 के लिये 13,200 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित एवं अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये 2136.83 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी योजनागत मद में शामिल किया गया है, जिससे बजट अनुमान 2011–12 में संयुक्त योजनागत परिव्यय बढ़कर 15,336.83 करोड़ रुपये हो गया है।

निष्कर्ष एवं संस्तुति

168. इस भाषण को समाप्त करने से पहले, मैं वित्त सचिव और वित्त विभाग व नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेन्टर में उनके सहयोगियों व कर्मचारियों, जिन्होंने इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने व प्रस्तुत करने में मेरी सहायता में दिन–रात एक कर दिया, के अथक प्रयासों, सहयोग और उनकी कर्त्तव्यपरायणता की प्रशंसा करना चाहूँगा।

169. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन और हरियाणा के लोगों को सत्यनिष्ठा से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगे तथा हरियाणा को उसी गतिशीलता एवं उत्साह के साथ विकास पथ पर ले जाने के लिये स्वयं को समर्पित करेंगे, जैसाकि हमने गत छः वर्षों में किया है।

170. महोदय, मैं इन शब्दों के साथ वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द!

Mr. Speaker : The house stands adjourned till 10.30 A.M. on Thursday, the 10th March, 2011.

*13.37 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.30 A.M. on Thursday, the 10th March, 2011.)

48691—H.V.S.—H.G.P., Chd.